दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

नवंबर भाग-2
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका 5

क्रिप्टोकरेंसी: विनियमन और संबंद्ध चुनौतियाँ **8**

- सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र से संबंधित मुद्दे 10
- 'परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियाँ': संभावनाएँ और चुनौतियाँ 11
- अधिकतम समर्थन नीति: अवधारणा और महत्त्व 14
- भारतीय दूरसंचार क्षेत्र: चुनौतियाँ और संभावनाएँ 16

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **18**

- भारत और तुर्कवाद का उदय 18
- इंडो-पैसिफिक में उभरते नए अवसर 20

नोट :

- 'नया क्वाड': संभावनाएँ और चुनौतियाँ 21
- भारत-अमेरिका व्यापार संबंध 23

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 26

- COP26- उपलब्धियाँ और संभावनाएँ 26

सामाजिक न्याय 29

- भारत में बाल विवाह का खतरा 29
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 31

दृष्टि The Vision

नोट :

दृष्टि The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका

संदर्भ

संसदीय लोकतंत्र की विशेषता सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल की पारस्परिक जवाबदेही की प्रणाली और एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विचार-विमर्श प्रक्रिया में प्रकट होती है।

संसदीय विपक्ष लोकतंत्र के वास्तविक सार के संरक्षण और लोगों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं के प्रकटीकरण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

किंतु, वर्तमान में भारत का संसदीय विपक्ष न केवल खंडित है, बल्कि अव्यवस्थित या बेतरतीबी का शिकार भी नज़र आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ही हमारे पास कोई विपक्षी दल है, जिसके पास अपने संस्थागत कार्यकलाप के लिये या समग्र रूप से 'प्रतिपक्ष' के प्रतिनिधित्व के लिये कोई विजन या रणनीति हो।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत के संसदीय विपक्ष को पुनर्जीवित करना और उसे सशक्त करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर जब लोकतंत्र का मूल्यांकन करने वाले विभिन्न सूचकांकों में इसकी वैश्विक रैंकिंग में लगातार गिरावट आ रही है।

भारत में संसदीय विपक्ष

- विपक्ष के बारे में: संसदीय विपक्ष, विशेष रूप से वेस्टमिंस्टर-आधारित संसदीय प्रणाली में एक नामित सरकार के राजनीतिक विपक्ष का एक रूप है।
  - "आधिकारिक विपक्ष" (Official Opposition) का दर्जा आमतौर पर विपक्ष में बैठे सबसे बड़े दल को प्राप्त होता है और इसके नेता को "विपक्ष के नेता" की उपाधि दी जाती है।
- विपक्ष की महत्त्वपूर्ण भूमिका:
  - विपक्ष संसद एवं उसकी समितियों के अंदर और संसद के बाहर मीडिया में और जनता के बीच दिन-प्रतिदिन आधार पर सरकार के कामकाज पर प्रतिक्रिया करता है, सवाल करता है और उसकी निगरानी करता है।
  - विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संवैधानिक सुरक्षा-घेरा बनाए रखे।
  - सरकार नीतिगत उपाय और कानून के निर्माता के रूप में जो भी कदम उठाती है, विपक्ष उसे अनिवार्य रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है।
  - इसके अलावा, विपक्ष संसद में केवल सरकार के कामकाज पर नज़र रखने तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि विभिन्न संसदीय साधनों (Parliamentary Devices) का उपयोग करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, संशोधनों और आश्वासनों के संबंध में भी मांग और अपील प्रस्तुत करता है।
- शक्तिशाली विपक्ष का इतिहास: 1960 के दशक के आरंभ से भूमि सुधार, औद्योगिक मज़दूर वर्ग के अधिकार, बेरोज़गारी, खाद्यान्न एवं उनका वितरण, जातीय मांगों और भाषाई अधिकारों जैसे विभिन्न मुद्दों पर पूरे भारत में शक्तिशाली आंदोलनों की शुरुआत हुई।
  - तत्कालीन विपक्ष ने स्वयं को इन सामाजिक आंदोलनों से उल्लेखनीय रूप से संलग्न किया था।
    - इसमें कम्युनिस्टों सहित विपक्ष के व्यापक वर्गों-समूहों को भी शामिल किया गया था।
  - इतिहास में संसदीय विपक्ष ने भारत के संसदीय लोकतंत्र को रचनात्मकता और विदग्धता प्रदान की थी।
- कमज़ोर विपक्ष और गैर-उत्तरदायी सरकार तबाही लाते हैं: एक कमज़ोर विपक्ष एक कमज़ोर या गैर-उत्तरदायी सरकार से कहीं अधिक खतरनाक होता है; एक गैर-उत्तरदायी सरकार एक कायर या संकोची विपक्ष के साथ मिलकर कयामत ही रचती है।

नोट :

- एक कमज़ोर विपक्ष का सरल निहितार्थ यह होता है कि एक बड़ी आबादी (जिन्होंने सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं दिया) की राय/मांगों को बिना किसी समाधान के छोड़ दिया गया।

- एक मज़बूत विपक्ष की आवश्यकता: भारत की वर्तमान सरकार की विभिन्न तबकों की ओर से कड़ी आलोचना की गई है।
  - वर्तमान दौर को लोकतंत्र, मानवाधिकारों और प्रेस स्वतंत्रता पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में गिरावट, देशद्रोह के मामलों की बढ़ती संख्या और UAPA के तहत अंधाधुंध दर्ज मामलों के रूप में चिह्नित किया गया है।
    - इसके अलावा, संसद द्वारा पारित किये जाते कई कानूनों को लगातार अस्वीकार्य के रूप में देखा जा रहा है।
  - ये उदाहरण स्पष्ट रूप से एक अप्रभावी और कमज़ोर विपक्ष का भी संकेत देते हैं।

संसदीय विपक्ष के साथ संबद्ध समस्याएँ

- विपक्ष का समकालीन संकट मुख्य रूप से इन दलों की प्रभावशीलता और चुनावी प्रतिनिधित्व का संकट है।
- राजनीतिक दलों में भरोसे की कमी और नेतृत्व का अभाव भी है।
- विपक्षी दल कुछ विशिष्ट सामाजिक समूहों तक सीमित प्रतिनिधित्व के संहत स्वरूप मंत अटके रह गये हैं और अपने दायरे को कुछ पहचानों या अस्मिताओं की सीमितता से परे ले जाने में असमर्थ रहे हैं।
- प्रतिनिधित्ववादी दावे ने विपक्ष को गठित, विस्तारित और समेकित होने में तो सक्षम बनाया है, लेकिन इस दृष्टिकोण या परिघटना की समाज के सभी वर्गों के अंदर वास्तविक प्रतिनिधित्व साकार कर सकने की असमर्थता ने विपक्ष के लिये अवसर को संकुचित करने में भी योगदान किया है।
- पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष की एक प्रमुख विफलता यह भी रही है कि यह एक राजनीतिक एजेंडा निर्धारित कर सकने और तटस्थ या निरपेक्ष लोगों को अपने पक्ष में कर सकने में विफल रहा है।
  - सरकार की कई विफलताओं पर भी उसे घेर सकने में विपक्ष की असमर्थता से इसकी पुष्टि होती है।

आगे की राह

- विपक्ष को पुनर्जीवित करना: महज ऊपर से हुक्म चलाने के बजाय गाँवों, प्रखंडों और ज़िलों में दलों को पुनर्जीवित करने और पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।
  - विपक्षी दलों को सतत् बारहमासी अभियान और लामबंदी की आवश्यकता है। किसी शॉर्टकट या "कृत्रिम प्रोत्साहन" का विकल्प मौजूद नहीं है जो एक प्रभावी विपक्ष का निर्माण कर सके।
  - विपक्षी दलों को अपनी अर्जित पहचान (समूह, जाति, धर्म, क्षेत्र पर आधारित) को त्यागने और नई पहचानों को अपनाने की ज़रूरत है, जो धारणा और व्यवहार में व्यापक और गहरी हों।
- विपक्ष की भूमिका को सशक्त करना: विपक्ष की भूमिका को सशक्त करने के लिये भारत में 'शैडो कैबिनेट' (Shadow Cabinet) की संस्था का गठन किया जा सकता है।
  - शैडो कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक अनूठी संस्था है जहाँ सत्ताधारी कैबिनेट को संतुलित करने के लिये विपक्षी दल द्वारा शैडो कैबिनेट का गठन किया जाता है।
  - ऐसी व्यवस्था में कैबिनेट मंत्री की प्रत्येक कार्रवाई शैडो कैबिनेट के मंत्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी चाहिये।
- विपक्ष को मज़बूत करने के अंतर्निहित कारक: अंतर्निहित कारक महज़ एक विपक्ष का निर्माण करने के बजाय कई दलों को एकजुट कर सत्तारूढ़ दल को चुनाव में प्रतिस्थापित करने की राह पर आगे बढ़ेंगे।
  - आवश्यकता यह है कि पार्टी संगठन में सुधार किया जाए, लामबंदी के लिये आगे बढ़ा जाए और जनता को संबंधित पार्टी कार्यक्रमों से परिचित कराया जाए। इसके साथ ही, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र के समय-समय पर मूल्यांकन के लिये एक तंत्र भी अपनाया जाना चाहिये।
- प्रतिनिधित्व का उत्तरदायित्व: वर्तमान मोड़ पर विपक्ष का एक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व यह है कि वह साझा मुद्दों पर समन्वय सुनिश्चित करे, संसदीय प्रक्रियाओं पर रणनीति तैयार करे, और इनसे अधिक महत्त्वपूर्ण, दमित अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करे।

नोट :

- विरासत से सबक: भारत में संसदीय विपक्ष को अपनी विरासत से बहुत कुछ सीखना है।
  - यह विरासत से सबक ग्रहण कर स्वयं को लोकतांत्रिक और समतावादी आग्रह की प्रतिनिधि आवाज़ के रूप में स्थापित कर सकता है ।

यह नए तरीकों के बारे में विचार करने का उपयुक्त संदर्भ भी हो सकता है, जिसके द्वारा एक नई मीडिया-प्रेरित सार्वजनिक संस्कृति (जो निरपवाद रूप से विनम्रता और अनुपालन का संपोषण करता है) में असंतोष और विरोध को कायम रखा जा सकता है।

- सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की भूमिका: जबकि विपक्ष को सरकार को चुनौती देने और उसे प्रश्नगत करने की ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, प्रतिनिधित्व के विचार की सफलता के लिये आवश्यक है कि सभी सांसद, वे किसी भी दल से संबंधित हों, जनता की राय के प्रति संवेदनशील हों।
  - इसके अलावा, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की स्वतंत्रता अंतर-दलीय लोकतंत्र और अंतरा-दलीय गुटवाद दोनों से जुड़ी हुई है ।
    - जब पार्टियों में गुट होते हैं तो वे अपने आंतरिक कार्यकरण में लोकतांत्रिक हो जाते हैं।
  - संसद अपने प्रतिनिधि स्वरूप को पुन: प्राप्त करे, इसके लिये आवश्यक है कि सत्ताधारी दल के सदस्य भी संसदीय प्रणाली के प्रति अधिक ईमानदार बनें।

निष्कर्ष

जहाँ हमारी राजव्यवस्था 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली का पालन करती हो, विपक्ष की भूमिका विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाती है। भारत के लिये एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में कार्य करने हेतु एक संसदीय विपक्ष—जो राष्ट्र की अंतरात्मा है, को संपुष्ट करना महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

क्रिप्टोकरेंसी: विनियमन और संबंद्ध चुनौतियाँ

संदर्भ

हाल ही में,भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने एक बार फिर वृहत-आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई है। इन्हीं कारणों से विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक क्रिप्टोकरेंसी के वैधीकरण के विरुद्ध खड़े हुए हैं और अब भारत में भी यही परिदृश्य उत्पन्न हो रहा है।

हालाँकि, क्रिप्टोकरेंसी की प्रकृति को देखते हुए, इस तरह के लेनदेन पर प्रतिबंध का विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है, जहाँ वे जाँच या संवीक्षा के दायरे से बाहर चली जाएंगी और आपराधिक कृत्यों के मामले में कानून प्रवर्तित करना कठिन हो जाएगा।

वर्तमान में, क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार तीन ट्रिलियन डॉलर से अधिक मूल्य का है। भारत इतने बड़े अवसर से स्वयं को वंचित नहीं रख सकता, न उसे रहना चाहिये, बल्कि इसके विनियमन के लिये प्रभावी प्रावधान का सृजन करना चाहिये।

'क्रिप्टोकरेंसी' को लेकर अस्पष्टता और अव्यवस्था

- वैश्विक सर्वसम्मति का अभाव: वर्तमान में वैश्विक स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रति विनियामक दृष्टिकोण में एकरूपता नहीं है। विभिन्न देश उपयुक्त विनियामक ढाँचे को लेकर जटिल सवालों से जूझ रहे हैं और अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं।
  - 'क्यूबा' और 'अल सल्वाडोर' जैसे देशों ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा (Legal Tender) के रूप में अनुमति दे रखी है।
    - ईरान ने भी उस पर आरोपित प्रतिबंधों को बेअसर करने में क्रिप्टोकरेंसी की क्षमता की पहचान की है और उनकी 'माइनिंग' (Mining) को प्रोत्साहित किया है, बशर्ते परिणामी टोकन केंद्रीय बैंक को बेचे जाएँ।
  - दूसरी ओर, चीन ने सभी क्रिप्टो लेनदेन और माइनिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
    - बोलीविया, नेपाल, नॉर्थ मैसेडोनिया और इंडोनेशिया कुछ अन्य देश हैं जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार, उनकी होल्डिंग और माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- भारत में क्रिप्टोकरेंसी की स्थिति: वर्तमान में देश में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है, जो भारत में क्रिप्टोकरेंसी को कवर करता हो, जिसका अर्थ यह है कि यह अभी तक अवैध नहीं है।
  - भारत में, रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2018 में सभी बैंकों के लिये क्रिप्टोकरेंसी के किसी भी लेनदेन पर रोक लगा दी थी, हालाँकि वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को निरस्त कर दिया था।
  - अभी कुछ समय पूर्व ही भारत के प्रधानमंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र के प्रबंधन के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जहाँ आम सहमति बनी कि क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदम समयानुकूल, प्रगतिशील और दूरदर्शी होने चाहिये।
    - सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर एक विधेयक पेश किया जाना संभावित है।

संबद्ध चिंताएँ

- क्रिप्टोकरेंसी पर वैध चिंताएँ: ये चिंताएँ इस तथ्य से उपजी हैं कि उनके मूल्यों के आकलन के लिये कोई अंतर्निहित आस्ति और कोई बेंचमार्क मौजूद नहीं है। इसके अलावा, क्रिप्टोकरेंसी अपनी प्रकृति में बेहद अस्थिर हैं।
  - जागरूकता, पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी निवेशकों, विशेष रूप से खुदरा निवेशकों के धन को जोखिम में डालती है।
    - इतनी अधिक मात्रा में पूंजी धारण करने वाले इस उद्योग की भारत में निगरानी या विनियमन की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है।
    - क्रिप्टो का जिस तरह से विज्ञापन किया जा रहा है, वह भी प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित बैठक में विचार का एक विषय रहा था।
- क्रिप्टो के संबंध में अस्पष्ट दृष्टिकोण: एक मुद्रा, एक परिसंपत्ति या एक कमोडिटी के रूप में क्रिप्टोकरेंसी के प्रति अलग-अलग देशों में अलग-अलग दृष्टिकोण प्रचलित हैं। इसे किस रूप में देखा जाता है और किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, उस पर विनियामक व्यवस्था का निर्धारण हो सकेगा।

नोट :

- भारत सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर एक विधेयक पेश कर सकती है और यह क्रिप्टो लेनदेन को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में वर्गीकृत कर सकती है।
- हालाँकि, यहाँ यह सवाल उठेगा कि क्रिप्टोकरेंसी पर उपयुक्त विनियामक किस प्रकार का होगा।

- क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाना एक विवेकहीन समाधान: केंद्रीय बैंक द्वारा सावधानी और सतर्कता का सुझाव तो उपयुक्त है, लेकिन इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना विवेकपूर्ण कदम नहीं माना जा सकता।
  - क्रिप्टोकरेंसी की प्रकृति को देखते हुए, इस तरह के लेनदेन पर प्रतिबंध का विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है, जहाँ वे जाँच या संवीक्षा के दायरे से बाहर चली जाएंगी और आपराधिक कृत्यों के मामले में कानून प्रवर्तित करना कठिन हो जाएगा।
  - इससे प्रतिबंध का मूल उद्देश्य ही पराजित हो जाएगा।
- प्रतिबंध मौजूदा प्रावधानों के विपरीत है: क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा प्रस्तुत 'ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति मसौदा, 2021' की भावनाओं के विरुद्ध होगा, जहाँ ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को इंटरनेट पर 'लेयर ऑफ ट्रस्ट' के निर्माण के लिये पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बताया गया है।
  - यह विरोधाभासी दृष्टिकोण ही है कि ब्लॉकचेन को तो प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार के एक अंग के रूप में प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन इसकी अनुषंगी क्रिप्टो परिसंपत्ति पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया जाए।

आगे की राह

- क्रिप्टो के लिये नियामक ढाँचा:भारत में क्रिप्टो के संबंध में तत्काल एक नियामक ढाँचे का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।
  - इस ढाँचे को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसियों, बिक्री, खरीद के साथ-साथ एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे मध्यस्थों से संबद्ध विभिन्न पहलुओं से निपटने की आवश्यकता होगी।
  - सरकार को संबद्ध जोखिमों की पहचान करनी चाहिये और उन्हें संबोधित करने के लिये एक उपयुक्त नियामक ढाँचा तैयार करना चाहिये।
  - यह विनियमन धन-शोधन और आतंक-वित्तपोषण जैसे मुद्दों की निगरानी और घोटालों पर रोक में भी सहायता कर सकता है।
- निवेशक संरक्षण: जबकि परिष्कृत निवेशकों को मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं भी हो, खुदरा निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी और उनसे जुड़ी अस्थिरता के संबंध में सतर्क करने की आवश्यकता है।
  - एक कुशल नियामक ढाँचा निवेशकों के लिये उत्तरदायित्व के साथ-साथ शिकायत निवारण तंत्र की पूर्ति करेगा।
- अविनियमित क्षेत्र को स्वरूप प्रदान करना: भारत को इस समय जिस बात की आवश्यकता है, वह है क्रिप्टोकरेंसी के अविनियमित क्षेत्र को एक स्वरूप प्रदान करना, बजाये इसके कि क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित कर दिया जाए। यह खुदरा निवेशकों के लिये एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा।
  - इसके साथ ही, यह भारत में सक्रिय क्रिप्टो कंपनियों के पलायन को रोकेगा, जिससे पूंजी का पलायन नहीं होगा।
  - यह भारत और भारतीयों के लिये उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आगे बढ़ने और इस क्षेत्र में अग्रणी एवं नवप्रवर्तक बनने के लिये एक स्वस्थ पारितंत्र का निर्माण करेगा।

निष्कर्ष

- क्रिप्टोकरेंसी अपरिहार्य है—इसे किसी भी सार्थक प्रवर्तनीय तंत्र के माध्यम से प्रतिबंधित या व्यवस्था से बाहर नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना अव्यावहारिक और अति-प्रतिबंधक कदम होगा।
- सरकार के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि वह ऐसे कानून लेकर आए जो प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण को समझे, सभी हितधारकों के आदानों को ध्यान में रखे और नागरिकों को इस नए युग की प्रौद्योगिकी से मिल सकने वाले लाभों का उपभोग करने में सक्षम बनाए।

नोट :

सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है और कृषि क्षेत्र के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सिंचाई के लिये उपलब्ध जल का कुशल उपयोग एक बड़ी चुनौती है। सूक्ष्म सिंचाई (Micro-Irrigation) जैसे तकनीकी नवाचार जल-संसाधन प्रबंधन में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं।

भारतीय कृषि की संवहनीयता में सूक्ष्म सिंचाई की महत्त्वपूर्ण भूमिका के कई लाभों और व्यापक स्वीकृति के बावजूद, वह उद्योग जो इसके लिये साधन प्रदान करता है, वर्तमान में अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष कर रहा है।

मूल्य नियंत्रण और योजना नामांकन में नौकरशाही की ओर से की जाने वाली देरी, क्षेत्र समीक्षा की कमी और सब्सिडी की प्रतिपूर्ति में देरी आदि ने इस उद्योग को इसके इतने महत्त्व के बावजूद पतन के कगार पर धकेल दिया है।

भारत में जल उपलब्धता और सूक्ष्म सिंचाई

- घटती जल उपलब्धता: भारत वर्ष 2011 में पहली बार जल की कमी वाले देशों की सूची में शामिल हुआ था।
  - भारत की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1,428 किलोलीटर प्रतिवर्ष अनुमानित है।
    - प्रति व्यक्ति 1,700 किलोलीटर से कम जल की उपलब्धता वाले देश को जल की कमी वाले देश के रूप में गिना जाता है।
  - G-20 अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत सर्वाधिक तेज़ी से सिकुड़ते जल संसाधनों वाले देशों में से एक है।
- सूक्ष्म सिंचाई के विषय में: यह सिंचाई की एक आधुनिक विधि है, जिसके द्वारा भूमि की सतह या उप-सतह पर ड्रिपर्स, स्प्रिंकलर, फॉगर्स और अन्य उत्सर्जक के माध्यम से सिंचाई की जाती है।
  - 'स्प्रिंकलर इरीगेशन' (Sprinkler Irrigation) और 'ड्रिप इरीगेशन' (Drip Irrigation) आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रमुख सूक्ष्म सिंचाई विधियाँ हैं।
- सूक्ष्म सिंचाई का महत्त्व:
  - सूक्ष्म सिंचाई 50-90% तक जल उपयोग कुशलता सुनिश्चित करती है।
  - बाढ़ सिंचाई (Flood Irrigation) की तुलना में इसमें 30-50% (औसतन 32.3%) जल की बचत होती है।
  - इससे बिजली की खपत में गिरावट आती है।
  - सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से उर्वरकों की बचत होती है।
  - फलों और सब्जियों की औसत उत्पादकता में वृद्धि होती है।
  - इससे किसानों की आय में समग्र वृद्धि होती है।

सूक्ष्म सिंचाई उद्योग के सामने मौजूद चुनौतियाँ

- सिंचाई की ड्रिप विधि (DMI) के पर्याप्त अंगीकरण का अभाव: 'भारत में सूक्ष्म सिंचाई पर कार्यबल' (2004) के अनुमान के अनुसार, भारत की कुल ड्रिप सिंचाई क्षमता 27 लाख हेक्टेयर है।
  - हालाँकि, वर्तमान में ड्रिप सिंचाई के तहत शामिल क्षेत्र सकल सिंचित क्षेत्र का मात्र 4% और इसकी कुल क्षमता (2016-17) का लगभग 15% ही हैं।
  - इसके अलावा, ड्रिप विधि केवल कुछ ही राज्यों तक सिमित है।
- सिंचाई संबंधी योजनाओं से संबद्ध समस्याएँ:
  - राज्य सरकारों की गैर-ज़िम्मेदारी: अधिकांश भारतीय राज्यों में (गुजरात और तमिलनाडु के प्रमुख अपवाद को छोड़कर) यह योजना वर्ष के केवल कुछ महीनों के लिये ही कार्यान्वित होती है।
    - धन की उपलब्धता के बावजूद, योजना के आवेदनों को वित्तीय वर्ष के अंत में संसाधित किया जाता है, जिसका उद्देश्य आमतौर पर पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों की महज़ पूर्ति करना होता है (जिसे 'मार्च रश' के रूप में जाना जाता है)।
    - इस संकुचित अवसर के परिणामस्वरूप केवल कुछ किसान ही आवेदन कर पाते हैं।

नोट :

- सब्सिडी की प्रतिपूर्ति में देरी: अन्य सब्सिडियाँ (जो प्रत्यक्ष तौर पर लाभार्थियों को हस्तांतरित की जाती हैं) के विपरीत, ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिये दी जाने वाली सब्सिडी वेंडरों को सम्यक उद्यम के बाद ही हस्तांतरित किया जाता है।
  - सब्सिडी हस्तांतरित करने के लिये इंस्टॉल किये गए सिस्टम की जाँच और परीक्षण की कोई निर्धारित समयरेखा नहीं है।
- वित्तीय कठिनाइयाँ: किसानों को प्राय: वित्तीय सेवाओं से आवश्यक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
  - यह रिपोर्ट सामने आई थी कि सूक्ष्म सिंचाई का निम्न अंगीकरण दर वर्ष 2013-16 की अवधि के दौरान बजट में कमी के कारण थी।
- बिजली की उपलब्धता: सिंचाई प्रणाली के लिये मुख्य इनपुट ऊर्जा है और बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिये केवल बिजली ही वह व्यवहार्य स्रोत है जो संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धता के बावजूद, अभी भी हर किसान की पहुँच से बाहर है।

आगे की राह

- प्रशासन की भूमिका: किसान द्वारा आवेदन देने से लेकर उसके निष्पादन और भुगतान संवितरण तक प्रत्येक चरण के लिये एक समयरेखा निर्धारित किया जाना चाहिये। इसके साथ ही आवेदनों, अनुमोदनों, कार्य आदेशों और वास्तविक स्थापनाओं की आवधिक समीक्षा पर बल देकर सरकार की निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।
  - सूक्ष्म सिंचाई के लिये सब्सिडी राशि के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की व्यवस्था की जानी चाहिये जहाँ राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती हो।
  - इसके साथ ही, किसानों को उनके फसल चक्र या बुवाई पैटर्न के अनुसार ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिये सक्षम बनाया जाना चाहिये।
- सूक्ष्म सिंचाई के दायरे का विस्तार: ड्रिप सिंचाई पद्धति के लिये पूंजी लागत को उल्लेखनीय रूप से कम किया जाना चाहिये।
  - गन्ना, केला और सब्जियों जैसी जल-गहन फसलों के लिये एक विशेष सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है।
    - जल की कमी और जल की प्रचुरता वाले क्षेत्रों के लिये एक अंतरीय सब्सिडी योजना भी शुरू की जा सकती है।
  - वर्तमान में, सतही स्रोतों (बाँधों, जलाशयों, आदि) के जल का उपयोग DMI के लिये नहीं किया जाता है। प्रत्येक सिंचाई परियोजना से जल का एक हिस्सा केवल DMI के लिये आवंटित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

कृषि में भविष्य की क्रांति 'परिशुद्ध खेती' (Precision Farming) से आएगी। सूक्ष्म सिंचाई, वास्तव में खेती को संवहनीय, लाभदायक और उत्पादक बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

'प्रति बूँद, अधिक फसल' (Per Drop More Crop) की प्राप्ति उन्नत और कुशल सिंचाई प्रौद्योगिकियों को लागू करके ही की जा सकती है, और इन्हें केवल तभी विकसित किया जा सकता है जब देरी, विवेकाधीनता और लालफीताशाही को समाप्त कर एक स्वस्थ कारोबारी माहौल सुनिश्चित किया जाए।

'परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियाँ': संभावनाएँ और चुनौतियाँ

संदर्भ

पिछले पाँच वर्षों में बैंकों के 'अशोध्य ऋण' (Bad Debt) के समाधान और वसूली में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालाँकि, व्यवस्था में अभी भी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की तनावग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान नहीं हो सका है।

'कंपनी अधिनियम, 2013' में समाविष्ट 'राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी' (National Asset Reconstruction Company- NARCL) उधारदाताओं के बैलेंस शीट के त्वरित समाधान की एक उम्मीद पैदा करती है।

NARCL का गठन एक स्वागतयोग्य पहल तो है, लेकिन उच्च और आवर्ती गैर-निष्पादित संपत्ति निर्माण के संचय की मूलभूत समस्या को संबोधित करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

भारत में परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियाँ (ARCs)

- ARCs की स्थिति: वर्तमान में परिचालित 28 ARCs (निजी क्षेत्र) में से कई की भूमिका काफी सीमित है। केवल शीर्ष 5 ARCs ही प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (Asset Under Management- AUM) के 70% से अधिक और पूंजी के 65% से अधिक भाग के लिये उत्तरदायी हैं।
  - यहाँ तक कि निजी क्षेत्र के ARCs ने भी 'जॉम्बी एसेट्स' की बिक्री में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है और अधिग्रहित परिसंपत्तियों में से मात्र 13.9% की बिक्री में सफल हुए हैं।
    - लगभग एक तिहाई ऋण पुनर्निर्धारित किये गए हैं।
    - यह उतना मूल्यवर्द्धन नहीं है जितना कि उधारदाताओं ने बिना किसी अतिरिक्त लागत के कर लिया होता।
- 'अशोध्य ऋणों' के समाधान के लिये पूर्व में की गई पहलें:
  - पिछले तीन दशकों में अशोध्य ऋणों के समाधान के लिये कई संस्थागत और नीतिगत उपाय किये गए हैं। इन संस्थागत उपायों में शामिल हैं:
    - औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR), 1987
    - लोक अदालत
    - ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT), 1993
    - कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन, 2001
    - वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act), 2002
  - हालाँकि लोक अदालत, 'ऋण वसूली न्यायाधिकरण' और सरफेसी अधिनियम क्रमशः 6.2%, 4.1% और 26.7% समाधान ही दे सके।
  - रिज़र्व बैंक ने भी वर्ष 2013-14 के दौरान तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान, पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के लिये कई उपाय शुरू किये।
    - यद्यपि ये उपाय भी उद्देश्य की पूर्ण पूर्ति में सफल नहीं रहे और बाद में उन्हें त्याग दिया गया।
- NARCL की स्थापना: राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (NARCL) को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसने 'परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी' (Asset Reconstruction Company- ARC) के रूप में लाइसेंस के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन किया है।
  - सार्वजनिक क्षेत्र में नवस्थापित NARCL ऋणदाताओं की बैलेंस शीट के तीव्र 'क्लीन अप' की उम्मीदें देता है।
    - संकटग्रस्त संपत्तियों के समाधान के मामले में यह 30वीं और सार्वजनिक क्षेत्र की पहली ARC है।
  - इसकी सर्वप्रमुख विशेषता संकटग्रस्त संपत्तियों के तीव्र एकत्रीकरण में निहित है। इसके साथ ही, इसकी प्रतिभूतिकृत रसीदें (Securitised Receipts- SRs) संप्रभु आश्वासन रखती हैं।
  - यह आरंभ में 500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वाले बड़े खातों पर ध्यान केंद्रित करेगी और उम्मीद है कि बैंकों को कष्टप्रद वसूली प्रक्रिया से मुक्त करेगी, जिससे उन्हें बेहद आवश्यक क्रेडिट विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिये अधिक अवसर मिल सकेगा।
- IBC की प्रगति: दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 एक अभूतपूर्ण अधिनियमन है, जिसमें कानूनी रूप से बाध्य समयबद्ध समाधान प्रक्रिया भी शामिल है।
  - गुणात्मक रूप से, इसने धन की हेराफेरी करने वाले शातिर कॉर्पोरेट उधारकर्त्ताओं के अंदर भय की एक भावना पैदा की और उनके कृत्यों पर अंकुश लगाया। इसने 'एवरग्रीनिंग' को लगभग समाप्त कर दिया है।
  - भले ही इस नई प्रकिया के तहत भी देरी की समस्या विद्यमान है, किंतु यह उतनी अधिक नहीं है, जितनी पूर्व होती थी।

'बैड लोन्स' के समाशोधन के मार्ग की चुनौतियाँ

- NCLT में पर्याप्त अवसंरचना की कमी: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) 'दिवाला और दिवालियापन संहिता' का आधार है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अवसंरचना की कमी से जूझ रहा है और इसके बेंचों में 50% (63 में से 34) रिक्तियाँ मौजूद हैं।
  - NCLT के पास 9.2 लाख करोड़ रुपए मूल्य के संकटग्रस्त ऋण से संबद्ध 13,170 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं।

नोट :

- पर्याप्त बुनियादी ढाँचे की कमी के साथ ही इसके निर्णयों की खराब गुणवत्ता IBC की बड़ी कमज़ोरी साबित हुई है।

पहचान और समाधान की देरी: IBC को संदर्भित मामलों के 47% (1,349 से अधिक मामले) के परिसमापन/ऋणमुक्ति (Liquidation) के आदेश दिये गए हैं।

- इनमें से 70% से अधिक मामले दशकों से 'औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड' (अब विघटित) के पास लंबित पड़े थे।
- लेनदारों के लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपए के कुल दावों के मुकाबले परिसमापन मूल्य (Liquidation Value) केवल 0.49 लाख करोड़ रुपए थी।

- 'एंकरिंग बाएज़' लगभग 'लिक्विडेशन वैल्यू' के बराबर: उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति को 'एंकरिंग बाएज़' (Anchoring Bias) कहा जाता है।
  - संकटग्रस्त संपत्तियों के लिये बोली लगाने में यह जानकारी ARCs के लिये अधिग्रहण की लागत है।
    - IBC प्रक्रिया के मामले में, यह IBBI (Insolvency and Bankruptcy Board of India) मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा निर्धारित परिसमापन मूल्य है।
  - इन संकटग्रस्त संपत्तियों को NARCL द्वारा 20% पर अधिग्रहित किया जा सकता है।
    - अधिग्रहण की यह कम लागत 'एंकर इफेक्ट एंड बाएज़' (Anchor Effect and Bias) से ग्रस्त होगी। संभावित बोलीकर्त्ता इसी एंकर के निकटतम कीमतों को कोट करेंगे।

आगे की राह

- न्यायिक और नियामक सुधार: शीघ्र और अंतिम समाधानों के लिये न्यायिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है।
  - उधारदाताओं और नियामकों को विलंबित पहचान और समाधान के मुद्दे को संबोधित करना चाहिये।
    - अधिक लचीली प्रावधान आवश्यकताओं के लिये उधारदाताओं को प्रोत्साहित करना उन्हें इसके त्वरित पहचान के लिये प्रेरित करेगा।
    - NPA वर्गीकरण पर नियामक मानदंडों से भी पहले व्यावसायिक तनाव और/या वित्तीय तनाव की पहचान किये जाने की ज़रूरत है।
- 'एंकर बाएज़' को कम करना: नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनेमैन (Daniel Kahneman) का मानना है कि 'एंकरिंग इफेक्ट प्रयोगशाला जिज्ञासा भर नहीं है और वास्तविक दुनिया में भी उतना ही प्रभावशील हो सकता है।'
  - उनके अनुसार, 'जब लोगों को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो वे प्राय: आसान विकल्प खोजने लगते हैं और 'एंकर बाएज़' इसी विकल्प के रूप में कार्य करता है।' इसे 'विपरीत दृष्टिकोण' से कम किया जा सकता है।
  - उन्होंने 'एंकर बाएज़' को कम करने के लिये तीन-चरणीय प्रक्रिया का सुझाव दिया है:
    - पूर्वाग्रह को स्वीकार करना।
    - सूचना के अधिक-से-अधिक नए स्रोतों की तलाश करना।
    - नई सूचना के आधार पर निर्णय लेना।
    - बेहतर बाह्य मूल्य खोज द्वारा एंकर बाएज़ के शमन की आवश्यकता है।
- नए ARC के लिये उपाय: IBC ने विलफुल डिफॉल्टरों द्वारा संकटग्रस्त संपत्ति को वापस ग्रहण करने पर रोक लगा उनके व्यवहार में बदलाव लाने में काफी प्रगति की है।
  - NARC को इस सिद्धांत को प्रभावित किये बिना इसे बनाए रखना चाहिये, अन्यथा इससे 'क्रेडिट संस्कृति' प्रभावित होगी।
  - इसके साथ ही, नैतिक खतरे के स्थायीकरण से बचने और शीघ्र समाधान को प्रोत्साहित करने के लिये इसमें तीन से पाँच वर्ष की अवधि का 'सनसेट क्लॉज़' (Sunset Clause) शामिल होना चाहिये।
    - इसे अन्य ARCs को बिक्री किये जाने से भी बचना चाहिये।
- NPAs के संचय को सीमित करना: NARCL एक स्वागतयोग्य पहल है, लेकिन समाधान और पुनर्प्राप्ति के उपाय और ढाँचों से ही उच्च और आवर्ती NPA निर्माण के संचय की मूलभूत समस्या का समाधान नहीं पाया जा सकता।
  - इसलिये, NPA के संचय को 2% से कम रखना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

अधिकतम समर्थन नीति: अवधारणा और महत्त्व

संदर्भ

तीन कृषि अधिनियमों को वापस लेने के अभूतपूर्व निर्णय के बावजूद प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिये "न्यूनतम समर्थन मूल्य" (Minimum Support Price- MSP) का मुद्दा सरकार और किसानों के बीच अभी भी चुनौतीपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

किसान आंदोलन के नेताओं द्वारा MSP के वैधीकरण, समर्थन मूल्य में वृद्धि और इसे सभी फसलों तक विस्तारित करने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार ने इन मांगों को अनसुना कर दिया है। यद्यपि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा मुख्य रूप से लागत प्रभावी मूल्य निर्धारण से संबंधित है और निश्चित रूप से यह एक ऐसा आधार है जिस पर कृषि का मूल्यांकन एक उद्यम, व्यवसाय या आजीविका के साधन के रूप में किया जाना चाहिये, लेकिन हमें इन सब से आगे बढ़ कर स्वयं 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' की अवधारणा पर विचार करना चाहिये।

अभी तक ग्रामीण भारत की प्राय: आर्थिक रूप से उपेक्षा ही की गई है और वोटों की राजनीति में उसे ठगा भी गया है। इस परिदृश्य में संभवत: यह उपयुक्त समय है कि 'अधिकतम समर्थन नीतियों' (Maximum Support Policies) पर विचार किया जाए और इस संबंध में जल्द-से-जल्द कोई महत्त्वपूर्ण कदम उठाया जाए।

अधिकतम समर्थन नीतियाँ

- इस नीति की शुरुआत इस दृष्टिकोण के साथ होनी चाहिये कि महज़ कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण, विपणन और वितरण ही ग्रामीण भारत पर देश की वृहत अर्थव्यवस्था द्वारा लादे गए बोझ का उपचार नहीं हो सकता।
- ग्रामीण भारत की संरचनात्मक असमानताओं, संस्थागत एवं प्रशासनिक कमियों और राजनीतिक विकृतियों को संबोधित करने वाली समग्र नीतियाँ ही इसे एक नया जीवन प्रदान कर सकेंगी।

MSP से संबद्ध समस्याएँ

- कृषि-संबद्ध क्षेत्र के लिये कोई MSP नहीं: किसानों की आय बढ़ाने में पशुपालन (मत्स्य पालन सहित) जैसे संबद्ध क्षेत्रों की अधिक भूमिका है। लेकिन इसके बावजूद पशुपालन या मत्स्य पालन क्षेत्र के उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई व्यवस्था लागू नहीं है, न ही सरकार द्वारा इनकी खरीद की जाती है।
  - यह मुख्यत: मांग-प्रेरित उद्योग की तरह संचालित है और इसका अधिकांश विपणन APMC मंडियों के बाहर संपन्न होता है।
- अपर्याप्त भंडारण व्यवस्था: कई लोग मानते हैं कि अनाजों के MSP में नियमित रूप से वृद्धि और सरकारी खरीद के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
  - लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सरकार के पास अनाज का भंडार पहले से ही 'ओवरफ्लो' हो रहा है और यह बफर स्टॉकिंग मानदंडों के दोगुने से भी अधिक है।
- धान और गेहूँ के पक्ष में MSP का झुकाव: चावल और गेहूँ के पक्ष में झुकी MSP प्रणाली ने इन फसलों के आवश्यकता से अधिक उत्पादन को प्रेरित किया है।
  - इसके अलावा, यह किसानों को अन्य फसलों और बागवानी उत्पादों की खेती के लिये हतोत्साहित करता है, जबकि उनकी मांग अधिक है और वे किसानों की आय की वृद्धि में अधिक सार्थक और सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।
- आर्थिक रूप से असंवहनीय: सरकारी खरीद की आर्थिक लागत चावल के लिये लगभग 37 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूँ के लिये लगभग 27 रुपए प्रति किलोग्राम है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा वहन की जा रही इस आर्थिक लागत की तुलना में चावल और गेहूँ के बाज़ार मूल्य पर्याप्त कम हैं।
  - इससे FCI का आर्थिक बोझ लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
  - इस बोझ का वहन अंतत: केंद्र सरकार को करना होगा और इसके परिणामस्वरूप कृषि अवसंरचना क्षेत्र में निवेश हो सकने वाले धन का विचलन अन्य क्षेत्रों में हो सकता है।
- MSP योजना के कार्यान्वयन में विद्यमान दोष: वर्ष 2015 में भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन पर सुझाव देने के लिये गठित 'शांता कुमार समिति' ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किसानों को MSP का केवल 6% ही प्राप्त हो सका, जिसका प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि देश के 94 प्रतिशत किसान MSP के लाभ से वंचित रहे हैं।

नोट :

- इसके साथ ही, MSP आधारित खरीद प्रणाली बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और APMC अधिकारियों पर निर्भर रही है और उन तक पहुँच पाने में छोटे किसान कठिनाई महसूस करते हैं।

आगे की राह- अधिकतम समर्थन नीति

- प्राकृतिक खेती को अपनाना: औद्योगिक रसायनों के उपयोग पर आधारित सब्सिडी प्राप्त कृषि को बढ़ावा देने के हरित क्रांति मॉडल से उल्लेखनीय और चरणबद्ध रूप से बाहर निकलने की आवश्यकता है।
  - 'शून्य-बजट प्राकृतिक खेती' (Zero-Budget Natural Farming) के माध्यम से सतत् कृषि की ओर आगे बढ़ना संभव है, लेकिन भारत के विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिये 'प्राकृतिक खेती' के एकल मॉडल पर ही समग्र रूप से निर्भर होना उपयुक्त नहीं होगा।
  - क्षेत्रीय रूप से विकसित और स्थापित सतत् कृषि-संस्कृतियों के संयोजन की आवश्यकता है, जिसे उनकी सामाजिक असमानताओं (जैसे बंधुआ मज़दूरी और किरायेदारी) से छुटकारा पाने के लिये कुछ रूपांतरित किया जा सकता है और नई जलवायु प्रवृत्तियों के अनुकूल बनाया जा सकता है।
- संसाधनों का समान वितरण: भूमि और जल जैसे संसाधनों के समान वितरण और साथ ही वैकल्पिक आर्थिक प्रथाओं और समर्थन संरचनाओं की एक श्रृंखला तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये नीतियाँ बनाई जानी चाहिये।
  - 'सब्सिडी' (जो बड़े पैमाने पर गैर-ग्रामीण लाभार्थियों को प्राप्त होती है), ऋणों के अधिस्थगन और चुनाव के ठीक पहले दिये जाने वाले लोकलुभावन लाभों के बजाय आवश्यक यह है कि 'पुनरुत्थान कृषि" (Restorative Agriculture)—जो हमारी मृदा और जल को पुनर्जीवित करती है और बीज एवं कृषि जैव विविधता को बढ़ावा देती है—के प्रसार को बढ़ावा देने के लिये भुगतान किया जाए।
- जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों को बढ़ावा देना: एक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल सतत् कृषि की ओर ट्रांजीशन को सक्षम किया जाना चाहिये बल्कि लोगों को जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन रणनीतियों को विकसित करने हेतु समर्थ बनाया जाना चाहिये।
  - किसानों को ऐसे समूह/संघ निर्माण में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है जहाँ उत्पादन, मूल्यवर्द्धन और विपणन के लिये संसाधनों, श्रम, कौशल और ज्ञान को एकत्र किया जाता है। यह उन कई समस्याओं को दूर करने का दीर्घकालिक समाधान हो सकता है जो किसानों को लाभ या प्रगति से वंचित या बहिर्वेशित करते हैं।
- कृषि नियोजन के लोकतंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण को पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त खेती को पुनर्जीवित करने, स्थानीय संग्रह एवं वितरण को सुगम करने और स्थानीय खाद्य संस्कृतियों को संरक्षित करने से संबद्ध किया जा सकता है जो कुपोषण की समस्या को कम कर सकेंगे।
  - एक नई बीज नीति (Seed Policy)—जो स्थानीय बीज बैंकों को सक्षम करने पर केंद्रित हो, किसानों को समस्याग्रस्त वाणिज्यिक बीज उद्योग से बचने में मदद कर सकती है।
- एक ओर ग्रामीण एवं कृषि प्रधान और दूसरी ओर शहरी एवं उद्योग प्रधान भारत के बीच का विभाजन वर्तमान समय में स्वीकार्य नहीं हो सकता। लघु उद्योगों और प्रसंस्करण केंद्रों को बढ़ावा देना—जो रोज़गार सृजन के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों एवं कौशल को बनाए रखने में मदद करेंगे, बेरोज़गारी और प्रवास जैसी गंभीर समस्या का समाधान हो सकते हैं।
  - ग्रामीण भारत को एक नए आर्थिक सौदे की आवश्यकता है जो पिछली गलतियों को संबोधित करे और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले अन्य विषयों में वर्षों की उपेक्षा के कारण उभरी रुग्नताओं को दूर करे।
- पंचायत, आँगनवाड़ी, स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सार्वजनिक संस्थानों में तत्काल सुधारों की आवश्यकता है, जो राज्य-नागरिक अंतर्संवाद को नौकरशाही से मुक्त करे और यह सुनिश्चित करे कि ग्रामीण निवासियों को नागरिक के रूप में देखा जाए, न कि अनुनय-विनय करते याचिकाकर्त्ता की तरह।
  - संरचनात्मक असमानताओं और वंचनाओं से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिये सुविकसित नीतियों की आवश्यकता है जो जाति, नृजाति, लिंग और वर्ग से संबद्ध असमानताओं को सार्थक रूप से संबोधित कर सके।

नोट :

निष्कर्ष

कहा जा रहा है कि किसानों और राज्य के बीच वर्ष भरे चले इस संघर्ष में ट्रैक्टरों ने टैंक पर विजय पा ली है। अहिंसक आंदोलन से मिली इस जीत से देश को ग्रामीण और कृषि प्रधान भारत के लिये "अधिकतम समर्थन नीतियों" की एक शृंखला के प्रति अपनी एकजुटता को बढ़ाने के लिये उत्साहित होना चाहिये।

पहला प्रयास यह हो कि अपने-अपने क्षेत्र के सांसदों को याचिका सौंपी जाए ताकि आगामी संसदीय सत्र केवल तीन कृषि अधिनियमों को वापस लेने तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण भारत के लिये सर्वोत्तम परियोजनाओं को साकार करने का मार्ग भी प्रशस्त हो।

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

संदर्भ

जुलाई 2021 में भारत ने वर्ष 1991 के अपने "बिग-बैंग" आर्थिक सुधारों के तीन दशक पूरे कर लिये। इन आर्थिक सुधारों ने देश को समाजवादी अर्थव्यवस्था मॉडल से बाज़ार-उन्मुख अर्थव्यवस्था मॉडल की ओर अग्रसर होने के लिये प्रेरित किया है।

वर्ष 1991 से पूर्व कराधान और सार्वजनिक क्षेत्र परिचालन, पुनर्वितरण के प्रमुख तरीके माने जाते थे। वर्ष 1991 के बाद यह कराधान, प्रौद्योगिकी, स्मार्टफोन और संबंधित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का एक संयोजन के रूप में उभरा है।

जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के स्रोत कई हैं, उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण सक्षमता से विकास एवं समावेशन के दोहरे उद्देश्यों को संबोधित किया है। दूरसंचार ऐसा ही एक विशिष्ट क्षेत्र है।

दूरसंचार क्षेत्र और आर्थिक विकास

- दूरसंचार क्षेत्र और भारत: भारत वर्तमान में 1.20 बिलियन से अधिक ग्राहक आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाज़ार है और इसने पिछले डेढ़ दशक में मज़बूत विकास दर्ज किया है।
- आर्थिक विकास में दूरसंचार का योगदान: दूरसंचार क्षेत्र, सरकार के लिये आयकर के बाद दूसरा सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला क्षेत्र है। इसके अलावा, डिजिटल भारत कार्यक्रम लगभग पूरी तरह से दूरसंचार क्षेत्र पर ही निर्भर है।
  - उदाहरण के लिये, दूरसंचार में निवेश में प्रति 10% की वृद्धि से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3.2% की वृद्धि होती है।
  - भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने देश के डिजिटल अवसंरचना के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    - जून 2021 तक देश में 768 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड ग्राहक थे, जो तीन वर्ष पहले की तुलना में ग्राहकों की संख्या में दोगुनी वृद्धि को दर्शाते हैं।
  - वर्ष 2018-21 के दौरान मोबाइल डेटा ट्रैफिक में 44% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate- CAGR) दर्ज की गई।
    - इसने बड़े पैमाने पर कंटेंट सेवाओं, ई-कॉमर्स, राइड-हेलिंग, हाइपर-लोकल, ई-एजुकेशन और ई-हेल्थकेयर सेवाओं के प्रसार को प्रेरित किया है।
- समावेशन के लिये जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी:
  - मोबाइल फोन परिष्कृत वित्तीय एकीकरण के साधन बन गए हैं, जैसा कि प्रीपेड भुगतान साधनों और मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग से पता चलता है।
  - जन-धन योजना (JDY) प्रौद्योगिकी के माध्यम से हाशिये पर स्थित और बैंक-सुविधा-रहित लोगों के समावेशन का प्रयास करती है।
    - इसके तहत अक्तूबर 2021 तक कुल 440 मिलियन बैंक खाते खोले गए हैं और 310 मिलियन से अधिक लोगों को RuPay कार्ड जारी किये गए हैं, जो बैंकिंग सेवाओं के लिये वृहत मांग को दर्शाता है।
  - आधार पहचान पत्र को केवाईसी के लिये एकमात्र सत्यापन दस्तावेज़ के रूप में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक खातों के साथ लिंक्ड किये जाने के साथ यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मेरुदंड के रूप में भी कार्य करता है।
  - JAM ट्रिनिटी आधार संख्या को एक सक्रिय बैंक खाते से जोड़ता है और इस प्रकार आय हस्तांतरण को अनुमान योग्य और लक्षित बनाता है।
    - आधार-लिंक्ड बैंक खातों ने दक्षता में वृद्धि की है और लीकेज को कम किया है।

नोट :

- दूरसंचार क्षेत्र में हालिया सुधार: हाल में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों को मंज़ूरी दी है।
  - सरकार को देय लाइसेंस शुल्क और जुर्माने के भुगतान पर तत्काल राहत प्रदान करने के अलावा इस पैकेज ने FDI सीमा का विस्तार किया है, लाइसेंस अवधि को 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया है, स्पेक्ट्रम-शेयरिंग पर से शुल्क हटा दिया है और स्पेक्ट्रम नीलामी के लिये समयसीमा का प्रस्ताव किया है।

दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष विद्यमान समस्याएँ

- दूरसंचार नीति से संबद्ध मुद्दे: भारत में सुधार प्राय: संकट उत्पन्न होने के बाद लागू किये जाते हैं। दूरसंचार क्षेत्र के साथ भी यही स्थिति रही है।
  - यद्यपि डिजिटल निवेश का समावेशन और विकास पर लाभकारी प्रभाव पड़ा है, लेकिन उन्होंने ऐसा किसी लहर की तरह शीर्ष-गर्त में उठते-गिरते किया है।
  - यदि दूरसंचार नीति अधिक अनुमान योग्य और कम अनियमित होती तो डिजिटलीकरण के लाभ अधिक वृहत और व्यापक हो सकते थे।
- दूरसंचार—एक भारी ऋणग्रस्त उद्योग: पिछले कुछ वर्षों से सरकार इस भारी ऋणग्रस्त उद्योग को उबारने के लिये संघर्षरत है. इसकी ऋणग्रस्तता के कुछ संभावित कारण हैं:
  - एक तीव्र और दुर्बलकारी 'प्राइस-वॉर'
  - समायोजित सकल राजस्व (AGR) की अनुपयुक्त परिभाषा
  - 'एक्सट्रैक्टिव' स्पेक्ट्रम नीलामी व्यवस्था
- दूरसंचार बाजार में संभावित द्वयाधिकार: पिछले 20 वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र दो दर्जन से अधिक कंपनियों के लिये कब्रगाह साबित हुआ है, जिससे हितधारकों के लिये मूल्य की भारी गिरावट हुई है।
  - भारत का दूरसंचार बाज़ार द्वयाधिकावाद (Duopoly) की राह पर जाने की कगार पर है, जहाँ चार प्रमुख ऑपरेटरों में से दो बाज़ार में बने रहने के लिये संघर्षरत हैं।

आगे की राह

- स्पेक्ट्रम की खरीद के लिये पूंजी पूल: सरकार दूरसंचार कंपनियों से स्पेक्ट्रम की खरीद के लिये पूंजी के एक पूल (Pool of Capital) का निर्माण कर सकती है, और दूरसंचार कंपनियों के राजस्व के एक हिस्से के लिये इसे कम अवधि के लिये लीज़ पर दे सकती है, जिससे उन्हें स्पेक्ट्रम भुगतान शुल्क की तात्कालिकता से राहत मिलेगी।
- स्पेशल ज़ीरो-कूपन बॉण्ड: प्रशासन को उन टेलीकॉम कंपनियों से, फेस वैल्यू पर छूट के साथ, निर्गत किये जाने के समय तुलनीय सॉवरेन बॉण्ड यील्ड के आधार पर, देय पूरी राशि के स्पेशल ज़ीरो-कूपन बॉण्ड स्वीकार करना चाहिये जो AGR वित्तपोषण समस्याओं से घिरे हैं।
  - ज़ीरो-कूपन संरचना का अर्थ यह होगा कि दूरसंचार कंपनियों पर तत्काल कोई ब्याज़ लागत नहीं लगेगी, इस प्रकार टैरिफ वृद्धि के बिना नकदी प्रवाह पर दबाव कम होगा।
- प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना, द्वयाधिकार को खत्म करना: बाज़ार में पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा का होना अनिवार्य है और द्वयाधिकार की स्थिति प्रतिस्पर्द्धा को अवसर नहीं देगी।
  - दूरसंचार क्षेत्र में कम-से-कम तीन निजी कंपनियों का होना आवश्यक है।
  - 'स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क' (SUC)—जो उस युग का अवशेष है जब स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया था (ऑपरेट करने के लिये लाइसेंस के साथ), में कमी लाना केवल उसी व्यवस्था में तार्किक और उचित होगा जब स्पेक्ट्रम की उच्च कीमतों पर नीलामी की जा रही हो।
  - अभिनव समाधानों के साथ दूरसंचार कंपनियों के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत और तुर्कवाद का उदय

संदर्भ

धर्म, क्षेत्र या धर्मनिरपेक्ष विचारधाराओं पर आधारित अंतर्राष्ट्रीयतावाद (Internationalism) को हमेशा से सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, क्षेत्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद के साथ-साथ धार्मिक और जातीय एकजुटता के ये आह्वान प्राय: राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने हेतु एक साधन के रूप में ही काम करते हैं।

वर्तमान में, राष्ट्रीय हित के लिये अंतर्राष्ट्रीय कार्ड खेलने का सबसे उपयुक्त उदाहरण तुर्की के राष्ट्रपति 'रेसेप तईप एर्दोआन' पेश कर रहे हैं, जो अपने आधुनिक राष्ट्र को उसके अतीत के इस्लामी और सैन्य गौरव की छाप के साथ एक नया रूप देना चाहते हैं।

चूँकि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सहयोगी के रूप में तुर्की की उपस्थिति धीरे-धीरे अरब जगत में और भारत के पड़ोस में प्रभावशाली बनती जा रही है,ऐसे में भारत के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने हित के लिये दृष्टिकोण में बदलाव लाते हुए तुर्की को एक संभावित सहयोगी के रूप में देखना शुरू करे।

तुर्की के प्रभाव का विस्तार

- अखिल-तुर्कवाद की उत्पत्ति: अखिल-तुर्कवाद (Pan-Turkism) की विचारधारा की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई जब रूस में तुर्क लोगों को एकजुट करने के अभियानों ने ज़ोर पकड़ा।
  - इसका भौगोलिक दायरा अंतत: बहुत व्यापक हो गया, जिसमें 'बाल्कन से लेकर चीन की दीवार तक' विस्तृत भूभाग की तुर्की मूल की आबादी शामिल गई।
  - हालाँकि, 20वीं सदी में तुर्क लोगों के दूसरे राज्यों में एकीकरण के साथ तुर्की के पतन की शुरुआत हो गई।
- तुर्की का बढ़ता प्रभाव:
  - आर्थिक प्रभाव: मध्य एशिया में लगभग 5,000 तुर्की कंपनियाँ कार्यरत हैं। इस क्षेत्र के साथ तुर्की का वार्षिक व्यापार लगभग 10 बिलियन डॉलर का है।
    - तुर्की ने मध्य एशिया और उससे आगे चीन, जॉर्जिया और अज़रबैजान तक परिवहन गलियारे के निर्माण में भी उल्लेखनीय प्रगति की है।
  - तुर्की की सशस्त्र शक्ति: तुर्की ने इस भूभाग में अपनी सैन्य शक्ति के प्रक्षेपण के साथ शेष विश्व को स्तब्ध कर दिया है। आर्मेनिया-अज़रबैजान संघर्ष में तुर्की के सैन्य हस्तक्षेप ने युद्ध को निर्णायक रूप से अज़रबैजान के पक्ष में झुका दिया था।
  - भू-राजनीतिक प्रभाव: चीन की आर्थिक शक्ति और रूसी सैन्य शक्ति की छाया में रहने वाले मध्य एशियाई राज्यों के लिये तुर्की आर्थिक विविधीकरण और अधिक रणनीतिक स्वायत्तता का अवसर प्रदान करता है।
    - अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ तुर्की के अच्छे संबंधों ने अंकारा को संघर्षरत दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच स्वयं को मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत कर सकने का अवसर दिया है।
    - तुर्की का 'हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन या 'इस्तांबुल प्रक्रिया' पिछले कुछ वर्षों से अफगान सुलह के प्रयास के लिये एक प्रमुख राजनयिक साधन रहा है।
  - तुर्की की महत्त्वाकांक्षा: तुर्की नाटो (NATO) का सदस्य है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद रूस के साथ रणनीतिक संपर्क स्थापित करने से उसने परहेज़ नहीं किया है।
    - शिनजियांग में तुर्की मूल के 'उइगर' आबादी का चीन द्वारा दमन किये जाने की तुर्की की आलोचना के बावजूद, अंकारा का बीजिंग के साथ गहन आर्थिक गठबंधन है।

नोट :

- इसके अलावा, इस्लामी दुनिया के नेतृत्व की महत्त्वाकांक्षा रखने के बावजूद तुर्की ने इज़राइल के साथ अपना राजनयिक संबंध तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया है।

- तुर्की प्रभाव के विस्तार के कारण: पिछले तीन दशकों में, शिक्षा, संस्कृति और धर्म में कई 'सॉफ्ट पावर' पहलुओं ने मध्य एशिया में तुर्की की छवि को मज़बूत किया है और इस क्षेत्र के अभिजात वर्ग के साथ नए संबंधों का निर्माण किया है।
  - वाणिज्य और सैन्य शक्ति जैसे 'हार्ड पावर' के क्षेत्रों में तुर्की की प्रगति और भी प्रभावशाली रही है।

भारत के लिये चुनौतियाँ

- भारत की यूरेशियाई नीति के लिये जटिलता: अखिल-तुर्कवाद के उदय का अफगानिस्तान, काकेशस क्षेत्र, मध्य एशिया और अधिक व्यापक रूप से भारत के यूरेशियाई पड़ोस के लिये उल्लेखनीय परिणाम आना तय है।
  - अखिल-तुर्कवाद निश्चित रूप से यूरेशियाई भू-राजनीति में जटिलता की एक और परत जोड़ता है।
- वैश्विक राजनीति में अलग दृष्टिकोण: भारत की गुटनिरपेक्षता, जबकि तुर्की का विभिन्न धड़ों के साथ गठजोड़ और संरेखण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व में दिल्ली और अंकारा के अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय झुकावों को प्रकट करता है।
  - पूर्व-एर्दोअन युग में दिल्ली और अंकारा के बीच के साझा धर्मनिरपेक्ष मूल्य शीत युद्धकाल में दोनों देशों के बीच के रणनीतिक मतभेदों को दूर करने के लिये पर्याप्त साबित नहीं हुए।
  - इसके अलावा, कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली और अंकारा के बीच मौजूदा मतभेद वास्तविक और गंभीर है।
    - अफगानिस्तान में तुर्की की बढ़ती भूमिका ने दिल्ली और अंकारा के बीच संबंधों को और अधिक प्रभावित किया है।
- पाकिस्तान-तुर्की के बढ़ते द्विपक्षीय संबंध: पाकिस्तान के साथ तुर्की के गहरे द्विपक्षीय सैन्य-सुरक्षा सहयोग ने दिल्ली के लिये अंकारा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और भी कठिन बना दिया है।
  - कश्मीर के सवाल पर तो तुर्की, पाकिस्तान का सबसे सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय समर्थक ही बन गया है।

आगे की राह

- रणनीतिक संवादों को आगे बढ़ाना: वर्तमान राजनीतिक विचलन दोनों सरकारों और दोनों देशों के रणनीतिक समुदायों के बीच निरंतर संवाद को महत्त्वपूर्ण बना देता है।
  - तुर्की से संलग्न होना अब भारत की विदेश और सुरक्षा नीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग होना चाहिये।
- तुर्की की भू-राजनीति से सबक: तुर्की की अपनी भू-राजनीति एक महत्त्वपूर्ण सबक प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के लिये तुर्की का स्थायी उत्साह उसे भारत के साथ कारोबार (आर्थिक और रणनीतिक) करने से विचलित नहीं करता है।
  - भारत सऊदी अरब (जो स्वयं को अरब दुनिया का नेता मानता है) के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के साथ-साथ दोनों पक्षों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखने के तुर्की के दृष्टिकोण को अपना सकता है।
- तुर्की की राजनीति का लाभ उठाना: कई अरब नेता तुर्की के राष्ट्रपति की नीतियों को अस्वीकार करते हैं जो उन्हें तुर्क साम्राज्यवाद की याद दिलाती है।
  - वे तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा उन समूहों के समर्थन से नाराज़ हैं, जो मध्य पूर्व में उदारवादी सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यह यूरेशिया में भारतीय विदेश और सुरक्षा नीति के लिये कई नए अवसरों का निर्माण करता है।

निष्कर्ष

- स्वतंत्र भारत गुज़रते दशकों में तुर्की के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिये संघर्षरत ही रहा है। लेकिन, दिल्ली में एक व्यवहार्य और वास्तविक दृष्टिकोण अब अंकारा के साथ नई संभावनाओं के अवसर प्रदान कर सकता है।
- जबकि तुर्की अफगानिस्तान में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिये तैयार है, भारत को जहाँ भी आवश्यक हो उसे सख्त चुनौती देने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ ही, भारत को तुर्की के साथ अधिक गहन द्विपक्षीय संलग्नता के लिये भी तैयार रहना चाहिये।

नोट :

इंडो-पैसिफिक में उभरते नए अवसर

संदर्भ

बीते कुछ वर्षों में विश्व के आर्थिक और राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हिंद-प्रशांत की ओर स्थानांतरित हो रहा है। अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा में पहले की तुलना में तीव्रता के साथ इस क्षेत्र ने अत्यंत महत्त्व हासिल कर लिया है।

'क्वाड' का तेज़ी से विकास, 'ऑकस' (AUKUS) साझेदारी का उदय और कई अन्य लघु-पक्षीय गठबंधनों का उभार स्वयं में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्त्व की पुष्टि करता है।

जबकि चीन व्यापार से लेकर सैन्य शक्ति और प्रौद्योगिकी तक सभी क्षेत्रों में लगातार प्रमुख भूमिका निभाने लगा है और अमेरिकी सर्वोच्चता अपने पतन की ओर अग्रसर है, यूरोपीय संघ का आगे आना बेहद महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जिसका आर्थिक भविष्य और भू-राजनीतिक प्रासंगिकता दोनों अलंघनीय रूप से एशिया में विकास से संबद्ध हैं।

भारत को इस क्षेत्र में यूरोपीय संघ के प्रवेश का स्वागत करना चाहिये और क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा, शक्ति प्रतिद्वंद्विता जैसी चिंता के साझा विषयों को संयुक्त रूप से संबोधित करना चाहिये।

हिंद-प्रशांत में यूरोपीय संघ की बढ़ती रुचि

- यूरोप और हिंद-प्रशांत क्षेत्र का सदियों पुराना संपर्क: यूरोप का एशिया से पुराना, मज़बूत और बहुस्तरीय संबंध रहा है। एशिया को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखा और परखा जाता है।
  - कम-से-कम वर्ष 2018 के बाद से फ्राँस, नीदरलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने हिंद-प्रशांत के प्रति अपनी विशिष्ट नीतियों की घोषणा की है।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र के साथ यूरोपीय संघ के वर्तमान संबंध: ब्रसेल्स यूरोपीय संघ और हिंद-प्रशांत को 'प्राकृतिक भागीदार क्षेत्रों' (Natural Partner Regions) के रूप में देखता है।
  - यूरोपीय संघ पहले से ही हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों, आसियान क्षेत्र और प्रशांत द्वीप राज्यों में एक महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी है।
  - यूरोपीय संघ की हालिया हिंद-प्रशांत रणनीति, व्यापक क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
- संलग्नता के पीछे के हित: यूरोपीय संघ निम्न परिदृश्यों का सामना करने की स्थिति में है:
  - चीन और अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का उदय
  - यूरोप की परिधि पर चीन की आक्रामकता की वजह से तनाव
  - क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) और वृहद एवं प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी (CPTPP) जैसे समझौतों के माध्यम से आर्थिक समेकन।
- हिंद-प्रशांत के लिये यूरोपीय संघ की हालिया पहल: यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा अप्रैल, 2021 में अपने आरंभिक नीति निष्कर्षों की घोषणा के बाद सितंबर, 2021 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिये यूरोपीय संघ की रणनीति (EU strategy for cooperation in the Indo-Pacific) का अनावरण किया जाना इस संबंध में उल्लेखनीय कदम है।
- हिंद-प्रशांत के लिये विजन: इस क्षेत्र में यूरोपीय संघ की भविष्य की प्रगति 'नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था' (Rules-Based International Order) के सिद्धांतों पर आधारित है; जो व्यापार एवं निवेश, सतत् विकास लक्ष्य एवं बहुपक्षीय सहयोग के लिये एकसमान अवसर को बढ़ावा देता है; और मानवाधिकारों एवं लोकतंत्र की रक्षा करता है।
  - यह ग्रीन ट्रांजीशन, महासागरीय शासन, डिजिटल शासन एवं भागीदारी, संपर्क, सुरक्षा एवं रक्षा और मानव सुरक्षा में सहयोग की भी परिकल्पना करता है।

संबद्ध चुनौतियाँ

- अमेरिका और चीन की तुलना में यूरोपीय संघ की सुरक्षा और रक्षा क्षमताएँ बेहद सीमित हैं।
- यूरोपीय संघ आंतरिक विभाजनों से ग्रस्त है; कई राज्य चीन को एक बड़े आर्थिक अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य चीन की चुनौती के पूर्ण स्वरूप के प्रति पूरी तरह से सचेत हैं।
  - उनका मानना है कि यूरोप के हितों की पूर्ति न तो एशिया में चीन के प्रभुत्व से होगी, न ही द्विध्रुवीयता से उभरे एक नए शीत युद्ध से।

नोट :

- यूरोपीय संघ विविध जोखिमों का सामना कर रहा है; उसका निकटतम पड़ोसी रूस एक अधिक पारंपरिक खतरा है जो चीन की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
  - इसलिये, यूरोपीय संघ के लिये क्वाड के साथ सहयोग करना एक आसान चयन होना चाहिये। हालाँकि, हाल ही में AUKUS साझेदारी ने यूरोपीय संघ के एक महत्त्वपूर्ण सदस्य फ्राँस को निराश ही किया।

आगे की राह

- आर्थिक क्षमताओं को मज़बूत करना: आर्थिक संबंधों के पक्ष में असंतुलन (अमेरिका और चीन की तुलना में) को दूर करने के लिये, यूरोपीय संघ को फ्राँस एवं उन सदस्य देशों को पर्याप्त अवसर और समर्थन देने की आवश्यकता होगी, जो हिंद-प्रशांत के साथ उल्लेखनीय संबंध रखते हैं।
- नए गठबंधन: भारत को ब्रिटेन के साथ रणनीतिक समन्वय का निर्माण भी करना चाहिये, क्योंकि ब्रिटेन अपनी 'ग्लोबल ब्रिटेन' रणनीति के एक अंग के रूप में एशिया में अपनी भूमिका का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है।
  - एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में यूरोपीय संघ के पास ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूज़ीलैंड के साथ अपनी व्यापार वार्ता में सफलता प्राप्त करने की प्रबल संभावना है; साथ ही, वह पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के साथ आर्थिक साझेदारी समझौते के लिये विचार-विमर्श को पूरा कर लेने की ओर अग्रसर है।
  - यह सब और इससे भी आगे की प्रगति के लिये, यूरोपीय संघ को अपने वित्तीय संसाधनों और नई प्रौद्योगिकियों को भागीदारों के साथ साझा करने के लिये भी तत्परता बढ़ानी चाहिये।
- भारत-यूरोपीय संघ सहयोग: भारत के पास यूरोपीय संघ से संलग्नता के अपने विशिष्ट कारण हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति के लिये भारत-यूरोपीय संघ की घनिष्ठ भागीदारी की आवश्यकता है।
  - भारत-यूरोपीय संघ व्यापक व्यापार समझौते पर हाल की पुन:वार्ता और एक विशिष्ट निवेश संरक्षण समझौते द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की दिशा में प्रमुख कदम हैं।
    - दोनों पक्षों के बीच उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों में सहयोग भी वांछनीय है।
  - फ्राँस, जर्मनी और यू.के के साथ रक्षा संबंधों को मज़बूत और उन्नत करना भी भारत की एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता बनी रहनी चाहिये।
  - अपने रणनीतिक संबंधों पर अधिकाधिक ध्यान और अन्य समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ संलग्नता रख भारत और यूरोपीय संघ हिंद-प्रशांत में एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था को संरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

- यूरोपीय संघ स्वयं के हितों के प्रति अधिक स्पष्टता, चीन के साथ अधिक मुखरता और भारत के साथ अधिक सहयोग के माध्यम से हिंद-प्रशांत में अपने लिये एक सुविधाजनक स्थिति का निर्माण कर सकता है।
- वैश्विक साझा हितों की सुरक्षा करने, स्थिरता बनाए रखने एवं सहकारी तरीके से आर्थिक समृद्धि का समर्थन करने और साथ मिलकर एक स्थिर बहुध्रुवीय व्यवस्था को आकार देने के लिये हितों और साझा मूल्यों के बढ़ते अभिसरण से क्षेत्र में भारत-यूरोपीय संघ के गहरे सहयोग का अवसर उत्पन्न होगा।

'नया क्वाड': संभावनाएँ और चुनौतियाँ

संदर्भ

हाल ही में भारत, अमेरिका, इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के बीच आयोजित बैठक ने भारत के विदेश नीति हलकों को एक और 'क्वाड' समूह के उभार की चर्चा तेज़ हुई है, जिसे विश्लेषक 'नए क्वाड' के नाम से संबोधित कर रहे हैं।

बैठक की चर्चा में शामिल रहे विभिन्न मुद्दों में से इस गठबंधन का प्रौद्योगिकी आयाम सहयोग के लिये सर्वाधिक संभावनापूर्ण प्रतीत होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं स्टार्ट-अप में अपनी अद्वितीय उपलब्धियों के साथ इनमें से प्रत्येक देश साझा प्रौद्योगिकीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

नोट :

प्रौद्योगिकीय विकास के क्षेत्र में एक साथ कार्य करना अमेरिका, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के लिये अपरिहार्य बनाता है कि वे अपने इस नवस्थापित गठबंधन को सशक्त बनाएँ।

'नए क्वाड' के भीतर सहयोग

- इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात का नया सहयोग: हाल ही में इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात के स्टार्टअप क्षेत्रों ने फिनटेक और डिजिटल सुरक्षा पर सहयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - एक इज़रायली गैर-लाभकारी संगठन 'स्टार्ट-अप 'नेशन सेंट्रल' (जो टेक इकोसिस्टम को कनेक्ट करता है) और संयुक्त अरब अमीरात के वित्तीय केंद्र 'दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर' के बीच संपन्न हुआ यह समझौता स्टार्ट-अप के लिये नियामक 'सैंडबॉक्स एंड एक्सेलरेटर' का निर्माण करेगा और उन्हें बाज़ार पहुँच के अवसर प्रदान करेगा।
  - वर्ष 2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कई सहयोगी परियोजनाओं की शुरुआत हुई है।
- संयुक्त अरब अमीरात और इज़रायल के साथ भारत का सहयोग: भारत और अमेरिका विभिन्न परियोजनाओं पर दोनों देशों (संयुक्त अरब अमीरात और इज़रायल) के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।
  - मई 2021 में इज़रायल स्थित 'इकोपिया' (Ecoppia) कंपनी- जो रोबोटिक सोलर क्लीनिंग प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ है, ने संयुक्त अरब अमीरात में कार्यान्वित अपनी एक परियोजना के लिये भारत में स्थित अपनी विनिर्माण सुविधा के उपयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जो 'इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो-इज़रायल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स' द्वारा समर्थित एक पहल है।
    - इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जल एवं ऊर्जा परियोजनाओं पर भी आपसी सहयोग कर रहे हैं।
- क्वांटम प्रौद्योगिकी में प्रयास: अबू धाबी का प्रौद्योगिकी नवाचार संस्थान संयुक्त अरब अमीरात का पहला क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है।
  - इज़रायल और अमेरिका ने क्वांटम प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र को क्रमश: 91 मिलियन डॉलर और 1.2 बिलियन डॉलर की राशि आवंटित की है।
    - तकनीकी दिग्गज कंपनियाँ- IBM और गूगल ने पहले ही अपने क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से अभूतपूर्व सफलताएँ हासिल कर ली हैं।
  - भारत भी अपने 'क्वांटम तकनीक और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन' के माध्यम से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और साथ ही उसने फ्राँस जैसे देशों से सहयोग भी किया है।

चुनौतियाँ

- पश्चिम एशिया में चीन की बढ़ती तकनीकी प्रगति और भूमिका: रूस के साथ सहयोग और 'मेड इन चाइना-2025' जैसी घरेलू प्रमुख पहलों के साथ बीजिंग ने उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुसरण किया है और वाशिंगटन के साथ अपने क्षमता अंतर को कम करने में सफलता पाई है। वस्तुत: कुछ मामलों में तो उसने प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ की स्थिति प्राप्त कर ली है।
  - चीन ने हाल के वर्षों में अवसंरचना, कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं में पश्चिम एशिया के कई देशों (जो भारत के महत्त्वपूर्ण भागीदार रहे हैं) के साथ अपने सहयोग में वृद्धि की है।
    - संयुक्त अरब अमीरात विश्व के उन पहले देशों में से एक था जिसे 5G परियोजना के लिये चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी हुआवे (Huawei) का सहयोग प्राप्त हुआ था।
- एकल राष्ट्रीय प्रयास पर्याप्त नहीं: तकनीकी प्रगति की अत्यंत तीव्र गति के साथ इन परिवर्तनकारी तकनीकों को विकसित करने और अपनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी वैश्विक शक्ति के भी एकल राष्ट्रीय प्रयास इष्टतम परिणाम नहीं दे सकेंगे।
  - विश्व में रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास पर सर्वाधिक व्यय करने के बावजूद अमेरिका अब पहले की तरह विश्व का प्रौद्योगिकीय नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है।

आगे की राह

- भारतीय टेक-हब के लिये अवसर: नवाचार और स्टार्टअप क्षेत्र में हालिया सहयोग को देखते हुए यह विचार करना तर्कसंगत है कि "नए क्वाड" प्रौद्योगिकी-आधारित सहयोग की दिशा में महत्त्वपूर्ण होगा।

नोट :

- भारतीय दृष्टिकोण से, इस तरह की साझेदारी अमेरिका के उद्यम पूंजी वित्तपोषण, इज़रायल के स्टार्ट-अप, उद्योग और अकादमी जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग और संयुक्त अरब अमीरात के वित्तपोषण एवं नवाचार पर फोकस का का लाभ उठा सकती है।
- इनमें भारत के बंगलूरू और संभावित रूप से हैदराबाद स्केलिंग और विनिर्माण के अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ विभिन्न रक्षा सार्वजनिक इकाइयों एवं अनुसंधान प्रतिष्ठानों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और स्टार्टअप के साथ एक जीवंत प्रौद्योगिकी आधार पहले से मौजूद है।

- सहयोग के लिये प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ: नए क्वाड के प्रौद्योगिकी सहयोग का एजेंडा तीन प्रौद्योगिकियों—क्वांटम साइंस, ब्लॉकचेन और 3डी प्रिंटिंग के चयन के साथ शुरू किया जा सकता है।
  - ये परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियाँ एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, क्रिप्टोग्राफी, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और विनिर्माण के लिये आकर्षक अनुप्रयोग प्रदान करती हैं।
  - अमेरिका, इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात में स्टार्टअप समुदाय पहले से ही एक उन्नत अनुसंधान एवं विकास चरण में पहुँच चुके हैं, जिससे भारत को विशेषज्ञता के सृजन और इन प्रौद्योगिकियों के विकास एवं अनुप्रयोगों के वृहत पैमाने की पेशकश करने का अवसर मिल सकता है।
    - इज़रायल ने विश्व भर में लगभग 40%, 3D प्रिंटर के निर्माण हेतु उत्तरदायी है और दुबई स्थित एक कंपनी इस भूभाग में 3D प्रिंटिंग की अग्रणी कंपनी के रूप में उभरी है।
    - इसके विपरीत, भारत 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने में अपेक्षाकृत सुस्त रहा है, लेकिन वह निश्चित रूप से अमेरिका, इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात की विशेषज्ञता से लाभान्वित हो सकता है।
- अन्य क्षेत्रों में सहायता के लिये प्रौद्योगिकी सहयोग: ब्लॉकचेन की ही तरह, भारत और संयुक्त अरब अमीरात बैंकिंग, फिनटेक और ट्रेड फाइनेंसिंग में उपयोग हेतु अनुकूलित अनुप्रयोगों को तैयार करने हेतु साइबर और क्रिप्टोग्राफी में अमेरिकी और इज़रायली विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं।
  - यह प्रशासन और लेनदेन लागत को कम करने में योगदान कर सकता है।
  - इसके अलावा, दोहरे उपयोग की उनकी प्रकृति चारों देशों की सेनाओं को तकनीकी बढ़त प्रदान करने की क्षमता रखती है।
    - इसके साथ ही यह समूह के एजेंडे में सुरक्षा सहयोग तत्व को भी जोड़ सकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी-आधारित भागीदारी, विभिन्न देशों के बीच सहयोग की एक प्रमुख प्रवृत्ति बन गई है, जहाँ समान विचारधारा वाले विभिन्न देश उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।

यदि चारों देश प्रौद्योगिकियों के चयन, वित्तपोषण और विकास के लिये अपने इस गठबंधन में नवाचार पारितंत्र को जोड़ते हैं तो यह सरकार-सरकार संलग्नता तक सीमित रहने के बजाय समूह के लिये सहयोग के आधार को अधिक व्यापक बनाने में मदद करेगा।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध

संदर्भ

पिछले दो दशकों में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र—अमेरिका और भारत, के बीच की साझेदारी व्यापक रूप से सुदृढ़ हुई है। रणनीतिक सहयोग से लेकर दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे होते संबंधों से दोनों देशों को प्रभावशाली लाभ प्राप्त हुए हैं।

इसी अवधि में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की मात्रा में भी भारी वृद्धि हुई है, हालाँकि दोनों देशों के बीच के गहन रणनीतिक और सांस्कृतिक सरेखण की तुलना में इन्हें कम ही माना जा सकता है।

हाल ही में भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने वर्ष 2017 के बाद पहली बार व्यापार नीति फोरम (Trade Policy Forum-TPF) के लिये अपने अमेरिकी समकक्ष से मुलाकात की।

यह बैठक बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत भारत और अमेरिका के लिये पहला अवसर था, जहाँ व्यापार संबंधों को बाधित करने वाले बाज़ार पहुँच संबंधी कुछ जटिल मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की गई।

नोट :

भारत-अमेरिका व्यापार और TPF का पुनरुद्धार

- भारत-अमेरिका व्यापार संबंध: संयुक्त राज्य अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये भारत सेवाओं के आयात का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता है।
  - भारत का वृहत उपभोक्ता आकार और आर्थिक विकास की दिशा में प्रगति, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातकों के लिये एक आवश्यक बाज़ार बनाता है।
  - डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के दौरान दोनों पक्ष एक 'मिनी ट्रेड डील' पर सहमत होने के निकट पहुँच गए थे, जहाँ भारत कुछ उत्पादों पर से टैरिफ हटा देता और बदले में उसे पुन: अमेरिका के 'सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली' (Generalized System of Preferences- GSP) कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता।
    - लेकिन बाइडेन प्रशासन नए व्यापार समझौतों के प्रति अभी तक उदासीन ही नज़र आया है।
- व्यापार के विस्तार के प्रयास: भारत-अमेरिका ट्रेड पॉलिसी फोरम की शुरुआत से पहले 'यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स' ने एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिये आधार तैयार करने हेतु तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया था।
  - भारत में भी आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने को लेकर एक सकारात्मक माहौल है, जहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 'एफडीआई कैप' बढ़ाने और पूर्वव्यापी कर कानून को निरस्त किये जाने की हाल की पहलों से निवेशकों के भरोसे को बल मिला है और भारत के उदारीकरण के पथ को लेकर आशा प्रकट की गई है।
  - भारत सरकार ने सुधार के प्रति अपने समर्पण का संकेत दिया है और अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है।
- TPF से परस्पर लाभ की स्थिति: अन्य देशों के साथ ही अमेरिका भी उपभोक्ता व्यय में वृद्धि को प्रबंधित करने, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों के साथ वैश्विक आपूर्ति शृंखला को सँरेखित करने का प्रयास कर रहा है।
  - व्यापार का विस्तार उपभोक्ता मूल्यों को कम कर सकता है और उसके आर्थिक सुधार को अधिकाधिक स्थिर/स्थायी बना सकता है।
  - दूसरी ओर, भारत भी मूल्य शृंखलाओं को आगे बढ़ाने और महत्त्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है।
- व्यापार नीति फोरम (TPF) का महत्त्व:
  - यद्यपि इस फोरम से किसी बड़ी सफलता के मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन यह बाइडेन काल में एक मज़बूत द्विपक्षीय व्यापार संबंध निर्माण का महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है।
    - अमेरिका, भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण साझेदारों में से एक है और दोनों देशों के बीच निकटता बढ़ी है।
    - चीन को लेकर दोनों देशों की साझा चिंताओं ने व्यापार संबंधों में मौजूद तनाव के बावजूद मज़बूत रक्षा एवं रणनीतिक संबंधों को बल दिया है।
  - व्यापार नीति फोरम भारत के लिये एक बाज़ार अभिगम्यता पैकेज के सृजन का अवसर प्रदान करता है, जो अमेरिका के साथ व्यापार तनाव को कम करेगा और इससे बाइडेन प्रशासन को 'धारा 232' के तहत टैरिफ को हटाने का राजनीतिक आवरण प्राप्त होगा। यह अंतत: भारतीय कंपनियों को लाभान्वित करेगा।
  - भारत ने वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
    - ये ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें अमेरिकी पूंजी, निवेश और अमेरिकी बाज़ार तक निरंतर पहुँच के साथ बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है।

संबद्ध चुनौतियाँ

- टैरिफ अधिरोपण: वर्ष 2018 में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ इस्पात उत्पादों पर 25% और कुछ एल्यूमीनियम उत्पादों पर 10% का टैरिफ अधिरोपित किया था।
- भारत ने जून, 2019 में अमेरिकी आयात के 28 उत्पादों (लगभग 1.2 बिलियन डॉलर मूल्य के) पर टैरिफ बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई की।
- हालाँकि, धारा 232 टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका को इस्पात निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष 46% की गिरावट आई है।
- आत्मनिर्भरता को संरक्षणवाद समझा जाना: 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' से यह भ्रमित छवि बनी है कि भारत तेज़ी से एक संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।

नोट :

- अमेरिका की 'सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली' (GPS) से बहिर्वेशन: अमेरिका ने GPS कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को प्राप्त शुल्क-मुक्त लाभ को वापस लेने (जून 2019 से प्रभावी) का निर्णय लिया।
- नतीजतन, 5.6 बिलियन डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात को प्राप्त विशेष शुल्क व्यवहार को समाप्त कर दिया गया, जिससे फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, कृषि उत्पाद और मोटरवाहन पार्ट्स जैसे भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।

आगे की राह

- वार्ताएँ आयोजित करना: चार वर्षों बाद जब पहले अमेरिका-भारत 'व्यापार नीति फोरम' की शुरुआत हुई है, यद्यपि इन प्रारंभिक चर्चाओं के माध्यम से कोई विशिष्ट व्यापार सौदे की संभावना नहीं है, किंतु दोनों सरकारें इसी प्रकार की वार्ता के माध्यम से वास्तविक प्रगति दर्ज कर सकती हैं। इसमें मुख्यत: दो आयाम शामिल हैं:
  - लंबे समय से चली आ रही अड़चनों और विवादों को दूर करना और इनका समाधान प्राप्त करना।
  - 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार ढाँचे का निर्माण करना, जो आर्थिक गलियारे में विकास और नवाचार को प्रेरित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों सहित दोनों देशों के सर्वोत्कृष्ट को एक साथ ला सकता है।
- टैरिफ हटाने की पहल: किसी संभावित समझौते की दिशा में पहला कदम यह होगा कि भारत स्वयं पहल करे और अपने प्रतिशोधी शुल्क को हटाने पर एकतरफा रूप से विचार करे। यह व्यापार वार्ता में एक रचनात्मक पक्ष बनने की भारत की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगा।
  - भले ही अमेरिका की ओर से किसी प्रतिबद्धता के बिना भारत द्वारा टैरिफ हटाना बस एक बेहतर कदम ही होगी, लेकिन यह अंतत: द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के लिये फायदेमंद सिद्ध होगा।
- चीन का मुकाबला करना: रणनीतिक दृष्टिकोण से, भारत के लिये चीन का मुकाबला करने का एक उपाय यही है कि भारत अपने उन भागीदारों के साथ व्यापार संबंधों को गहन करे जो भारत के विकास का समर्थन करने के लिये प्रतिबद्धता रखते हैं।
  - अमेरिका के साथ एक समझौता भारत के लिये रणनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से लाभप्रद होगा।
    - चूँकि अमेरिकी कंपनियाँ अपनी कुछ विनिर्माण गतिविधियों को चीन से बाहर स्थानांतरित करने पर विचाररत हैं, एक जीवंत व्यापार रणनीति, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं को पूरकता प्रदान कर सकती है, और विनिर्माण एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।
- डिजिटल विकास को सुगम बनाना: डिजिटल क्षेत्र (जो 100 बिलियन डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है) में विकास को बढ़ावा देने के लिये दोनों पक्षों को कई मूलभूत मुद्दों—डिजिटल सेवा कर, सीमा-पार डेटा प्रवाह, साझा सेलुलर मानक आदि को संबोधित करने की आवश्यकता होगी।
  - यह महत्त्वपूर्ण है कि डिजिटल सेवा कर के मामले में भारत उभरते वैश्विक समझौतों के साथ अनुकूलता लाए, जिससे व्यापार में तेज़ी आएगी।
  - इसके साथ ही, भारत और अमेरिका को एक एकीकृत दूरसंचार पारितंत्र में कार्यान्वयन के लिये 5G मानकों पर सहमति बनानी चाहिये।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अमेरिका-भारत सहयोग वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के लिये सर्वप्रमुख प्रभावशाली कदम होगा।
  - वैश्विक महामारी से बाहर निकलते दोनों देशों के लिये यह अनूठा अवसर है कि वे ऐसे स्वास्थ्य पहल के लिये आगे बढ़ें जो भारतीय बाज़ार की बाधाओं को दूर करे, जिससे अमेरिकी कामगारों और भारतीय रोगियों दोनों को हानि पहुँचती है।
  - इस क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने और अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देने के लिये यह आवश्यक है कि:
    - सरकारें अभिनव चिकित्सा उत्पादों पर बाज़ार आधारित दृष्टिकोण अपनाएँ
    - सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक खरीद नीतियाँ विदेशी फर्मों के साथ भेदभाव नहीं करेंगी
    - चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स के अनुमोदन में तेज़ी लाने के लिये नियामक संरचनाओं को सरेखित करें ताकि महत्त्वपूर्ण और जीवन रक्षक उपचार त्वरित गति से बाज़ार तक पहुँच सकें।

निष्कर्ष

भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव के इस दौर में दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों का एक साथ आना विवेकपूर्ण होगा। अमेरिका-भारत ट्रेड पॉलिसी फोरम के माध्यम से व्यापार और निवेश संबंधों को मज़बूत करना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण आरंभिक कदम हो सकता है।

बढ़ते सांस्कृतिक और रणनीतिक सरेखण की ही तरह बेहतर व्यापार साझेदारी दोनों देशों को महामारी के बाद के परिदृश्य में बेहतर ढंग से आगे बढ़ने में मदद करेगी।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

COP26- उपलब्धियाँ और संभावनाएँ

संदर्भ

हाल ही में आयोजित COP26 को ग्रह को बचाने के अंतिम अवसर के रूप में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। बैठक की शुरुआत भारी जोश के साथ हुई थी, लेकिन अंत धीमे स्वर में हुआ। इसके बावजूद, इसने कुछ प्रगति दर्ज की, भले वह आवश्यकता या अपेक्षा से काफी कम रही हो।

शिखर सम्मेलन को इस चिंताजनक पहलू से जूझना था कि दुनिया सदी के अंत तक लगभग +3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की राह पर है, यानी वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्य "2 डिग्री सेल्सियस से नीचे" और आदर्श रूप से "पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर" से कहीं अधिक।

जलवायु परिवर्तन की इस वैश्विक समस्या में विश्व के तीन सबसे बड़े उत्सर्जकों, विकसित देशों और निस्संदेह भारत द्वारा एक अधिक व्यापक भूमिका का निर्वाह किया जाना अभी शेष है।

बैठक का कार्यवृत्त: उपलब्धियाँ और असफलताएँ

- नए वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्य: ग्लासगो शिखर सम्मेलन ने विश्व के देशों से आग्रह किया है कि वर्ष 2022 में मिस्र में आयोजित COP27 तक वे अपने वर्ष 2030 के लक्ष्य को और सशक्त बनाने पर विचार करें।
  - शिखर सम्मेलन ने ग्लोबल वार्मिंग को +1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देने का लक्ष्य रखा और लगभग 140 देशों ने उनके उत्सर्जन को 'शुद्ध शून्य' (NET ZERO) तक लाने हेतु अपनी लक्षित तिथियों की घोषणा की।
    - यह उपलब्धि महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पेरिस समझौते में विकासशील देश अपने उत्सर्जन को कम करने के लिये सहमत नहीं हुए थे, और केवल जीडीपी की 'उत्सर्जन-तीव्रता' को कम करने के प्रति सहमति जताई थी।
  - भारत भी अब सर्वसम्मति में शामिल हो गया है और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य प्राप्त कर लेने की घोषणा की है।
    - इस प्रकार, भारत अपनी पिछली स्थिति से एक कदम आगे बढ़ा है, जहाँ उसने उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता को कभी स्वीकार नहीं किया था।
- ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा: 'COP26' की एक संभावित महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा (Glasgow Breakthrough Agenda) है, जिसे भारत सहित 42 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  - यह स्वच्छ ऊर्जा, सड़क परिवहन, इस्पात और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और संवहनीय समाधानों के विकास और तैनाती में तेज़ी लाने के लिये एक सहकारी प्रयास है।
- कोयला उपभोग का 'फेज डाउन': कोयला जीवाश्म ईंधनों में सबसे अस्वच्छ है और कोयले के उपयोग को शीघ्रातिशीघ्र चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना स्पष्ट रूप से वांछनीय है। यूरोपीय देशों ने इसके 'फेज़ आउट' के लिये सहमति हेतु भारी दबाव बनाया है, लेकिन विकासशील देशों ने इसका विरोध किया है।
  - भारत द्वारा 'फेज़-आउट' के बदले 'फेज़-डाउन' के रूप में सुझाए गए मध्यम मार्ग को स्वीकार करते हुए COP26 में कोयला आधारित बिजली के 'फेज़-डाउन' का आह्वान किया गया है।
- सर्वश्रेष्ठ स्थिति: एक स्वतंत्र संगठन 'क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर' (CAT) द्वारा किये गए एक आरंभिक मूल्यांकन से पता चलता है कि घोषित लक्ष्य, अगर पूरी तरह से प्राप्त कर लिये जाएँ, तो ग्लोबल वार्मिंग को लगभग +1.8 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है।
  - हालाँकि, संगठन ने यह चेतावनी भी दी है कि वर्ष 2030 के लक्ष्य अपर्याप्त रूप से महत्त्वाकांक्षी हैं। यदि उल्लेखनीय सख्ती नहीं की गई तो वैश्विक तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होना संभावित है।

नोट :

बैठक की विफलताएँ:

- स्वैच्छिक लक्ष्य: बैठक में निर्धारित लक्ष्य स्वैच्छिक प्रवृत्ति के हैं जिनके अनुपालन की बाध्यता के लिये या गैर-अनुपालन की स्थिति में दंड के लिये कोई तंत्र मौजूद नहीं है। कई लक्ष्य सशर्त प्रकृति के हैं, जो पर्याप्त वित्तीय सहायता की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।
- विशिष्ट विवरण और कार्रवाइयों का अभाव: कई देशों ने उन विशिष्ट कार्रवाइयों का कोई विवरण प्रदान नहीं किया है जो शुद्ध शून्य की ओर उनके वास्तविक प्रक्षेपवक्र का निर्धारण करेंगे, और इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
- जलवायु वित्त को सुरक्षित करने में विफलता: शिखर सम्मेलन द्वारा मध्यम स्वर में दी गई चेतावनी में केवल विकसित देशों से जलवायु वित्त के अपने प्रावधान को बढ़ाने का आग्रह किया गया है। यह विकसित देशों से उनकी वित्तपोषण प्रतिबद्धताएँ सुनिश्चित करा सकने में विफल रहा।
- कार्बन बजट का असमान वितरण: दुनिया के शीर्ष तीन सबसे बड़े उत्सर्जक (चीन, अमेरिका, यूरोप) जो वैश्विक आबादी के लगभग 30% का निर्माण करते हैं, कार्बन बजट का 78% ग्रहण करेंगे।
  - चीन वर्ष 2060 में शुद्ध शून्य तक पहुँचने से पहले वर्ष 2030 तक ही अपने शीर्ष उत्सर्जन पर पहुँच जाने की इच्छा रखता है। वैश्विक जनसंख्या में केवल 18.7% की हिस्सेदारी के बावजूद वह वैश्विक कार्बन बजट का 54% ग्रहण करेगा।
  - अमेरिका, कुल जनसंख्या के 4.2% के साथ बजट का 14.2% और यूरोप 6.8% के साथ 9.5% प्राप्त करेगा।
  - यह समस्या इस तथ्य को दर्शाती है कि यदि उत्सर्जन के मामले में आरंभिक स्थिति इतनी भिन्न है तो शुद्ध-शून्य तिथियों पर ध्यान केंद्रित करने से उपलब्ध कार्बन स्पेस का उचित विभाजन सुनिश्चित नहीं होगा।

आगे की राह

- सबसे बड़े उत्सर्जकों के लिये सुझाव: चीन द्वारा वर्ष 2030 तक अपना उत्सर्जन बढ़ाए जाने (जैसी घोषणा अभी की गई है) के बजाय, उन्हें कुछ वर्षों के लिये अपने वर्तमान स्तर पर ही बनाए रखने और फिर 2050 तक शुद्ध शून्य सुनिश्चित करने पर ध्यान दे।
  - अमेरिका को वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में तेज़ कमी लानी चाहिये और अपने शुद्ध-शून्य की तिथि को पीछे लाते हुए वर्ष 2040 तक अपना लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।
  - संपूर्ण यूरोप को जर्मन/स्वीडिश उदाहरण का अनुसरण करना चाहिये और वर्ष 2045 तक शुद्ध-शून्य का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिये।
    - इस पुनर्संयोजन के साथ, इस समूह का कार्बन उत्सर्जन कार्बन बजट के 32% तक गिर जाएगा, जो उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी के अधिक निकट होगी।
- भारत के लिये सुझाव: भारत का वर्ष 2070 का लक्ष्य कार्बन स्पेस का 18.1% हिस्सा ग्रहण करेगा, जो हमारी 17.7% वैश्विक जनसंख्या हिस्सेदारी से थोड़ा अधिक है।
  - उसे एक सहमत वैश्विक पैकेज के हिस्से के रूप में अपने प्रक्षेपवक्र में संशोधन पर विचार करने के लिये तैयार होना चाहिये, जिसमें अन्य देश भी उचित कार्रवाई करें।
- कोयला आधारित बिजली और भारत: भारत ने कोयला आधारित बिजली के 'फेज़िंग-डाउन' के संबंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है; हालाँकि, इसके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य द्वारा वर्ष 2030 तक कोयले की इसकी हिस्सेदारी को मौजूदा 72% से घटाकर लगभग 50% कर दिये जाने की संभावना है।
  - इसके साथ ही, सरकार को वर्तमान में निर्माणाधीन संयंत्रों के अलावा किसी भी अन्य नए कोयला आधारित संयंत्रों की स्थापना को मंज़ूरी नहीं देना चाहिये।
  - आवश्यकता इस बात की है कि पुराने, अकुशल और प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों की त्वरित सेवानिवृत्ति की नीति बनाई जाए, बशर्ते उपयुक्त वित्तपोषण प्राप्त किया जा सके।
- इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को प्रोत्साहित करना: वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिये परिवहन में पेट्रोल और डीजल को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है।
  - वर्ष 2050 तक देश के सभी वाहनों को उत्सर्जन मुक्त बनाने के लिये, सरकार वर्ष 2035 के बाद जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों की बिक्री के विरुद्ध कोई नीति लाने पर भी विचार कर सकती है।
    - इससे ऑटोमोटिव क्षेत्र को अपने उत्पादन के पुनर्गठन के लिये लगभग 15 वर्ष का समय मिल जाएगा।

नोट :

- नीति में परिवर्तन की आवश्यकता: नवीकरणीय क्षमता के विस्तार के लिये नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा से बाधित आपूर्ति के स्थिरीकरण, पारेषण अवसंरचना के निर्माण, कुशल बिजली बाज़ार के सृजन और बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय कमज़ोरी को ठीक करने जैसे समाधानों पर लक्षित हो।
  - इन कार्रवाइयों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले वर्षों में घरेलू नीति एजेंडे में इन्हें शामिल करना उपयुक्त होगा।

निष्कर्ष

- 'ग्लासगो' में आयोजित COP26 उत्सर्जन में कमी लाने के लिये एक आशाजनक शुरुआत है, हालाँकि विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जकों की ओर से अभी बहुत कुछ किये जाने की उम्मीद है।

भारत के परिप्रेक्ष्य में, इसे कोयला आधारित बिजली उत्पादन के 'फेजिंग-डाउन' और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय

भारत में बाल विवाह का खतरा

संदर्भ

बाल विवाह एक वैश्विक मुद्दा है, जो लैंगिक असमानता, गरीबी, सामाजिक मानदंडों और असुरक्षा से प्रेरित है और दुनिया भर में इसके विनाशकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। बाल विवाह के उच्च स्तर समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव और अवसरों की कमी को दर्शाते हैं।

भारत में विभिन्न वैधानिक प्रावधानों और सशर्त नकद हस्तांतरण (Conditional Cash Transfer- CCT) कार्यक्रमों जैसी पहलों के बावजूद, अधिक प्रगति नहीं हो सकी है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन ने परिदृश्य को और बदतर कर दिया।

भारत में बाल विवाह

- व्यापकता: संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) के आकलन से पता चलता है कि भारत में हर साल 18 वर्ष से कम उम्र की कम-से-कम 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है, जो वैश्विक संख्या का एक तिहाई है और इस प्रकार अन्य देशों की तुलना में भारत में बाल वधुओं की सर्वाधिक संख्या मौजूद है।
- बालिका विवाह (Girl Child Marriage) के मूल कारण: बाल विवाह के कारणों को प्राय: सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भ में देखा जाना चाहिये, जो महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति और पत्नी एवं माता के रूप में उनकी भूमिका के बारे में प्रचलित विभिन्न मान्यताओं में अंतर्निहित होते हैं।
  - महिलाओं द्वारा किये जाने वाले घरेलू श्रम और देखभाल कार्य, लड़कियों की सुरक्षा और बचाव के लिये उनकी जल्दी शादी कराने की धारणा, और परिवार के सम्मान को जोखिम की आशंकाएँ या आर्थिक बोझ जैसी अन्य वास्तविकताएँ भी इससे जुड़ी हुई हैं।
  - एक अन्य कारण में पुत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पुत्रियों की संख्या इच्छा से अधिक हो जाती है।
    - यह समस्या अमीर परिवारों में अधिक मौजूद नहीं है जो अधिक बच्चे पैदा करने का खर्च उठा सकते हैं।
    - लेकिन गरीब परिवारों के लिये एक उपाय यह होता है कि इन बेटियों की समय से पहले शादी करा दी जाए, और इस प्रकार बाल वधुओं और बच्चे की आपूर्ति का दुष्चक्र लगातार बना रहता है।
  - कुछ माता-पिता 15-18 की आयु को अनुत्पादक मानते हैं, विशेषकर लड़कियों के लिये, और इसलिये वे इस आयु के दौरान अपने बच्चे के लिये साथी ढूँढना शुरू कर देते हैं।
    - लड़कों की तुलना में कम उम्र लड़कियों के बाल विवाह की संभावना अधिक होती है।
    - इसके अलावा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाता है।
- बाल विवाह के विषय में NFHS के निष्कर्ष: वर्ष 2015-16 में आयोजित 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS4) के चौथे दौर के आँकड़े से पता चलता है कि भारत में प्रत्येक चार लड़कियों में से एक की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो रही थी।
  - सर्वेक्षण अवधि के दौरान 15-19 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 8% महिलाएँ माता थीं या गर्भवती थीं।
    - विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार कोविड महामारी के दौरान बाल विवाहों की संख्या में वृद्धि देखी गई।
  - NFHS-5 (2019-20) के पहले चरण के निष्कर्ष भी बाल विवाह के उन्मूलन की दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति नहीं दिखाते हैं।

बाल विवाह-संबद्ध मुद्दे

- मानवाधिकारों का उल्लंघन: बाल विवाह लड़कियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें नीति निर्धारण के लिये लगभग अदृश्य बना देता है।
  - इन बुनियादी अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार (बलात्कार एवं यौन शोषण सहित) शामिल हैं।

नोट :

- महिलाओं का अशक्तीकरण: चूँकि बालिकाएँ अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं, इसलिये वे आश्रित और शक्तिहीन बनी रहती हैं, जो लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है।
- संबद्ध समस्याएँ: बाल विवाह के साथ ही किशोर गर्भावस्था एवं चाइल्ड स्टंटिंग , जनसंख्या वृद्धि, बच्चों के खराब लर्निंग आउटकम और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की हानि जैसे परिणाम भी जुड़ जाते हैं।
  - घर में किशोर पत्नियों का निम्न दर्जा आमतौर पर उन्हें लंबे समय तक घरेलू श्रम, बदतर पोषण और एनीमिया की समस्या, सामाजिक अलगाव, घरेलू हिंसा और घरेलू विषयों में निर्णय लेने की कम शक्तियों की ओर धकेलता है।
  - कमज़ोर शिक्षा, कुपोषण, और कम आयु में गर्भावस्था बच्चों के जन्म के समय कम वजन का कारण बनती है, जिससे कुपोषण का अंतर-पीढ़ी चक्र बना रहता है।
- बाल विवाह के उन्मूलन में CCT की अक्षमता: सशर्त नकद हस्तांतरण (CCT) कार्यक्रम परिवारों को इस शर्त पर धन देते हैं कि वे कुछ पूर्वनिर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हों।
  - CCT पिछले दो दशकों में बाल विवाह के उन्मूलन के लिये अधिकांश राज्यों द्वारा शुरू किया गया मुख्य नीति साधन रहा है।
  - हालाँकि, केवल इन कार्यक्रमों से सामाजिक मानदंडों को नहीं बदला जा सकता। सबके लिये एक ही तरह की शर्तें हमेशा ही किशोर लड़कियों की व्यावहारिक वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है।

आगे की राह

- नीतिगत हस्तक्षेप: भारत से बालिका विवाह और समग्र रूप से बाल विवाह के उन्मूलन की दिशा में कानूनों की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
  - कर्नाटक ने वर्ष 2017 में बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन किया है, जहाँ प्रत्येक बाल विवाह को उसके आरंभ से ही अमान्य घोषित कर दिया गया, इसे एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है, और बाल विवाह संपन्न कराने में योगदान करने वाले सभी व्यक्तियों के लिये कठोर कारावास की न्यूनतम अवधि तय की गई है। केंद्रीय स्तर पर भी ऐसा ही किया जा सकता है।
- सामाजिक परिवर्तन के लिये सरकारी कार्रवाई: शिक्षकों, आँगनवाड़ी पर्यवेक्षकों, पंचायत एवं राजस्व कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों के ज़मीनी स्तर के नौकरशाह—जिनका ग्रामीण समुदायों के साथ अंतर्संपर्क होता है, को बाल विवाह निषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officers) के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा, जन्म और विवाह पंजीकरण का विकेंद्रीकरण ग्राम पंचायतों मं किये जाने से आयु और विवाह के आवश्यक दस्तावेजों के साथ महिलाओं और लड़कियों की रक्षा होगी, और इस प्रकार वे अपने अधिकारों का दावा करने में अधिक सक्षम बन सकेंगी।
- सामाजिक परिवर्तन के प्रेरकों की मौलिक भूमिका: इनमें माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, सुरक्षित एवं सस्ते सार्वजनिक परिवहन तक पहुँच और युवा महिलाओं को आजीविका कमाने के लिये अपनी शिक्षा का उपयोग करने के लिये सहयोग देना शामिल हैं।
  - शिक्षा का विस्तार महज़ उस तक पहुँच तक ही सीमित नहीं है। लड़कियों को नियमित रूप से स्कूल जा सकने, स्कूल में बने रहने और उपलब्धियाँ पाने में सक्षम होना चाहिये।
    - राज्य यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष रूप से निम्न-सुविधा-संपन्न क्षेत्रों में आवासीय स्कूलों, बालिका छात्रावासों और सार्वजनिक परिवहन के अपने नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं ताकि सुनिश्चित हो सके कि किशोर लड़कियाँ शिक्षा से बहिर्वेशित न की जाएँ।
  - उच्च विद्यालय की लड़कियों और लड़कों के साथ नियमित रूप से लैंगिक समानता पर संवाद जारी रखने की आवश्यकता है ताकि एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को आकार दिया जा सके जो उनके वयस्क आयु में भी साथ बना रहेगा।
- सशक्तीकरण के उपाय: बाल विवाह को समाप्त करने के लिये महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक संलग्नता की भी आवश्कयता है।
  - भारत भर की ग्राम पंचायतों में बच्चों की ग्राम सभाएँ बच्चों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिये एक मंच प्रदान कर सकती हैं।
- बाल विवाह की रोकथाम के लिये आर्थिक विकास आवश्यक: बालिका विवाह पर रोक और उपयुक्त आयु पर लड़कियों के विवाह को सुनिश्चित करने के लिये भारत को न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी विकसित होने की आवश्यकता है।

नोट :

- इस दिशा में कुछ प्रगति हुई भी है, जहाँ समृद्धि बढ़ने और चरम गरीबी के स्तर में गिरावट आने के साथ-साथ बाल वधुओं की संख्या में कमी आई है।
- आर्थिक विकास भारतीय बालिकाओं को बाल विवाह से बचाएगा। लैंगिक वरीयता के विषय में शैक्षिक और सांस्कृतिक जागरूकता (जिसमें निस्संदेह समय लगेगा) के साथ आर्थिक सफलता ही एक स्थायी समाधान लेकर आएगी।

निष्कर्ष

बालिका विवाह के उन्मूलन के संबंध में शिक्षा, कानूनी प्रावधान और जागरूकता पहलों जैसे सामाजिक परिवर्तन के प्रेरकों को अभी भी लंबा रास्ता तय करना होगा। इसके साथ ही यह ऐसा बदलाव है जिसे इसके अंदर से ही घटित होना है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

संदर्भ

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) संपूर्ण भारत में परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाने वाला एक बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है।

हाल में नवीनतम सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के दूसरे चरण के प्रमुख परिणाम जारी किये गए हैं जो मिश्रित निष्कर्षों के रूप में सामने आए हैं। इनमें उत्साह और चेतावनी दोनों के ही तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं।

ये निष्कर्ष बेहद महत्त्वपूर्ण हैं और इन पर उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि ये जल्दबाजी में तैयार किये जाते स्वास्थ्य स्थिति सूचकांक नहीं हैं, बल्कि ये भारत के जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य प्रक्षेपवक्र की स्थिति पर एक विस्तृत, व्यापक, बहु-आयामी रिपोर्ट कार्ड है।

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष

- NFHS 4 और 5—एक तुलना: NFHS-5 के रिपोर्ट कार्ड में कई सकारात्मक बिंदु हैं।
  - शैक्षिक उपलब्धि, संस्थागत आपूर्ति, टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर आदि कई आयामों में सुधार देखा गया है।
  - इसकी गति कुछ भी रही हो, प्रगति की सराहना करनी होगी, विशेष रूप से भारत के स्वास्थ्य अवसंरचना की बदतर स्थिति को देखते हुए, जो कि COVID-19 महामारी के आगमन के समय से बेहद प्रकट है।
- TFR में गिरावट—एक प्रमुख सकारात्मक उपलब्धि: समय के साथ कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) में गिरावट आ रही है और यह अब 2.1 के प्रतिस्थापन दर से नीचे (2.0) आ गई है।
  - यह स्थिति भारत के सभी राज्यों में नज़र आ रही है जिसका अर्थ यह है कि कुल जनसंख्या स्थिर हो गई है।
- जन्म के समय और वयस्क आयु में लिंग अनुपात में अंतर: भारत में पहली बार वर्ष 2019-21 में प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 वयस्क महिलाएँ मौजूद थीं।
  - यद्यपि इस आँकड़े से इस तथ्य की अनदेखी नहीं होनी चाहिये कि भारत में अभी भी जन्म के समय लिंग अनुपात (Sex Ratio at Birth- SRB) नैसर्गिक SRB (प्रति 1000 बालक पर 952 बालिकाएँ) की तुलना में लड़कों की ओर अधिक झुकी हुई है।
  - उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र निम्न SRB वाले प्रमुख राज्य हैं।
- एनीमिया या रक्त की कमी से निपटने में बदतर प्रदर्शन: भारत के सभी राज्यों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों (58.6 से 67%), महिलाओं (53.1 से 57%) और पुरुषों (22.7 से 25%) में एनीमिया की स्थिति और बदतर हुई है (20%- 40% को मध्यम स्तर माना जाता है)।
  - केरल (39.4% पर) के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य "गंभीर" (Severe) श्रेणी में हैं।
- कुपोषण संकेतकों के प्रदर्शन: कुपोषण (Malnutrition) के तीन संकेतकों—स्टंटिंग (आयु अनुरूप कम ऊँचाई), वेस्टिंग (ऊँचाई अनुरूप कम वजन) और अंडरवेट (आयु अनुरूप कम वजन) में समग्र सुधार नज़र आया है।
  - हालाँकि, यह समग्र सुधार एक विसंगति दर्शाता है, क्योंकि NFHS-5 के चरण 1 में कई राज्यों ने इनमें से एक या अधिक संकेतकों में बिगड़ती स्थिति का खुलासा हुआ था, जबकि चरण 2 में किसी भी राज्य ने बिगड़ती हुई स्थिति का प्रदर्शन नहीं किया है।

नोट :

- संभव है कि कोविड-19 के कारण चरण 2 का सर्वेक्षण प्रभावित हुआ हो और स्थिति का सही आकलन नहीं हो सका हो।
- इसके अतिरिक्त, अधिक वजन वाले बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में वृद्धि देखी गई है और यह भी एक प्रकार के कुपोषण को दर्शाता है, जहाँ गैर-संचारी रोगों (NCDs) के रूप में गंभीर स्वास्थ्य परिणाम सामने आते हैं।

संबद्ध मुद्दे

- सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेशन नहीं: मानवशास्त्रीय उपायों (Anthropometric Measures) के अलावा उपयुक्त पोषण की कमी को सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micronutrients) की कमी से भी मापा जाता है, अर्थात् विटामिन और खनिजों की कमी जो वृद्धि और विकास के लिये एंजाइम, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थों के उत्पादन जैसे शरीर के कार्यों के लिये आवश्यक हैं।
  - NFHS के पास सूक्ष्म पोषक तत्वों पर आँकड़े का अभाव है।
- आहार ग्रहण की निगरानी के लिये 'वन साइज़ फिट्स ऑल' का दृष्टिकोण: भारतीय आहार एक समृद्ध विविधता प्रदर्शित करते हैं। कई पारंपरिक आहार स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के साथ-साथ आवश्यक पोषक तत्वों (प्रोटीन, वसा आदि) के स्रोतों की बहुलता दोनों को दर्शाते हैं।
  - एक अप्राकृतिक एकरूपता लागू करने के माध्यम से आहारों पर नियंत्रण और भारतीयों के एक बड़े तबके (जो परंपरागत रूप से शाकाहारी नहीं हैं) को पशु प्रोटीन के उपयोग से वंचित करना सूक्ष्म पोषक तत्व विविधता को कम करने और बदतर स्वास्थ्य परिणाम लाने में योगदान कर सकते हैं।
- कोविड-19 'ब्लेम गेम': तर्क दिया जा रहा है कि बदतर स्वास्थ्य परिणाम कोविड-19 के प्रभाव को दर्शाते हैं, क्योंकि NFHS-5 के चरण 2 के आँकड़े काफी हद तक कोविड-19 महामारी की अत्यधिक असामान्य स्थितियों के दौरान एकत्र किये गए हैं।
  - लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों में गिरावट के लिये पूरी तरह से महामारी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
  - महामारी ने भले ही बदतर सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को और बदतर किया हो, लेकिन इसे ही बदतर स्थिति का प्राथमिक कारक नहीं माना जा सकता।
- महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनैतिक प्रसव अभ्यास: सर्वेक्षण महिलाओं के सशक्तीकरण, स्वायत्तता और गतिशीलता संकेतकों पर केंद्रित है और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रकाश डालता है।
  - आँकड़ों के अनुसार, सिज़ेरियन जन्मों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है और निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में 47.5% जन्म (सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में 14.3%) सी-सेक्शन द्वारा होते हैं।
  - ये आँकड़े अत्यंत अस्वाभाविक हैं और निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं के अनैतिक अभ्यासों को प्रश्नगत करते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य की कीमत पर मौद्रिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं।
- परिवार नियोजन में सीमित पुरुष संलग्नता: आंध्र प्रदेश (98%), तेलंगाना (93%), केरल (88%), कर्नाटक (84%), बिहार (78%) और महाराष्ट्र (77%) जैसे राज्यों में गर्भनिरोध की आधुनिक पद्धति के रूप में महिला नसबंदी का ही बोलबाला बना हुआ है।
  - परिवार नियोजन में पुरुषों की संलग्नता सीमित बनी हुई है जो सभी राज्यों में कंडोम की कम खपत और पुरुष नसबंदी की निम्न स्थिति से प्रकट होती है।

आगे की राह

- स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये नीतिगत हस्तक्षेप: सर्वेक्षण ने स्वास्थ्य परिणामों में गहरी असमानताओं को उजागर किया है। समग्र साक्ष्य इस बात की आवश्यकता जताते हैं कि स्वास्थ्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों के लिये चिंता का विषय होना चाहिये।
  - भारत की स्वास्थ्य आवश्यकताओं में सुधार के लिये एक कार्ययोजना की आवश्यकता है जिसे समावेशी, अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ और ठोस संसाधनों द्वारा समर्थित भी होना चाहिये।
- NFHS से सबक: NFHS के निष्कर्ष बालिकाओं की शिक्षा में व्याप्त अंतराल को समाप्त करने और महिलाओं एवं बच्चों की दयनीय पोषण स्थिति को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाते हैं।
  - महामारी के प्रभाव को भी दर्ज किया जा सकता है, जहाँ बच्चों के लिये संतुलित पोषण जैसी सेवाओं में आये व्यवधान को स्वीकार किया जाना चाहिये।

नोट :

- इस तरह के परिदृश्य कठिनतम परिस्थितियों में भी आपूर्ति एवं वितरण में सक्षम लचीले और दृढ़ प्रणालियों के निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

- स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग: वर्तमान समय में सभी स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षाविदों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अन्य भागीदारों की ओर से एकीकृत और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि बुनियादी एवं उन्नत दोनों ही स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिये सुलभ, वहनीय और स्वीकार्य बनाया जा सके।
- व्यवहार-परिवर्तन संचार रणनीति: सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये एक लक्षित सामाजिक और व्यवहार-परिवर्तन संचार रणनीति (Behaviour-Change Communication Strategy) अपनानी चाहिये कि पुरुष भी परिवार नियोजन का उत्तरदायित्व ग्रहण करें।

निष्कर्ष

दशकीय जनगणना द्वारा प्रदत्त वृहत आँकड़ों के बाद NFHS ही दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जो वस्तुस्थिति के आँकड़े उपलब्ध कराता है। इसका भारत के नीति-निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ लाने के लिये इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

राज्यों के साथ-साथ केंद्र की वृहत सोच यह होनी चाहिये कि वे इसे आगे के कार्य और विकास संकेतकों में सुधार के लिये एक महत्त्वपूर्ण मैट्रिक्स के रूप में चिह्नित करें।

दृष्टि The Vision

नोट :